

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
(संसद की 1916 की अधिसूचना संख्या 225 द्वारा स्थापित)



सूचना—पुस्तिका
स्नातक प्रवेश परीक्षा (यू.ई.टी.) 2010

विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में शिक्षण सत्र 2010–2011 में प्रवेश हेतु मई 18, 2010 से मई 29, 2010 तक प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। अधोलिखित अर्हता शर्तें पूर्ण करने पर स्नातक प्रवेश परीक्षा (यू.ई.टी.) में प्राप्तांकों तथा आवेदित पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी ने आवेदन दिया हो तथा प्रवेश परीक्षा में बैठा हो।

1. अध्ययन पाठ्यक्रम, अर्हता—शर्तें, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम कूट संख्या एवं सीटों की संख्या
निम्नलिखित स्नातक (यू.ई.टी.) पाठ्यक्रम वे हैं जिनकी प्रवेश परीक्षा, परीक्षा नियंता द्वारा आयोजित की जाती है। ये पाठ्यक्रम “सामान्य पाठ्यक्रम” एवं “व्यावसायिक पाठ्यक्रम” में बाँटे गये हैं।

सभी पाठ्यक्रमों का अध्यापन सम्बन्धित संकायों में होता है। इसके अतिरिक्त कुछ पाठ्यक्रमों का अध्यापन महिला महाविद्यालय, राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर तथा शहर में सम्बद्ध महाविद्यालयों : आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज, चेतगंज ; वसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा ; वसन्त महिला महाविद्यालय, राजधान ; डी.ए.वी. पी0 जी0 कॉलेज, औसानगंज में भी होता है। कोष्ठक में विभिन्न पाठ्यक्रमों के सीटों की कुल संख्या इंगित है जहाँ 'M' केवल पुरुष, 'F' केवल महिला तथा 'M&F' पुरुष तथा महिला दोनों को दर्शाता है।

अ सामान्य पाठ्यक्रमः

नोट:- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नीचे दी हुई न्यूनतम आवश्यक अर्हता को ध्यान से पढ़ें। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शारीरिक विकलांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम आवश्यक अर्हता में दी जाने वाली छूट, शारीरिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को उच्च आयु सीमा में दी जाने वाली छूट, न्यूनतम आवश्यक अर्हता सम्बन्धी टिप्पणी जो कि क्रमशः धारा 2, और 3 में दी हुई हैं का अध्ययन भी भली प्रकार कर लें।

- (i) **बी.ए. (आनस) कला:** अवधि : (त्रिवर्षीय) कूट संख्या—131
 न्यूनतम अर्हता शर्तें: 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण।
 आयु: प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 सीटों की संख्या: कला संकाय (614 M) महिला महाविद्यालय (230 F) आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज (307 F) वसन्त कन्या महाविद्यालय (230 F) वसन्त महिला महाविद्यालय (330 F) डी.ए.वी. पी0 जी0 कॉलेज (246 M&F)
- (ii) **बी.ए. (आनस) सामाजिक विज्ञानः** अवधि : (त्रिवर्षीय) कूट संख्या—132
 न्यूनतम अर्हता शर्तें: 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण।
 आयु: प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 सीटों की संख्या: सामाजिक विज्ञान संकाय (460 M) महिला महाविद्यालय (154 F) आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज (307 F) वसन्त कन्या महाविद्यालय (200 F) वसन्त महिला महाविद्यालय (169 F) डी.ए.वी. पी0 जी0 कॉलेज (261 M&F)
- (iii) **बी.काम. (आनस) / बी.काम. (आनस) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट*:** अवधि : (त्रिवर्षीय) कूट संख्या—133
 न्यूनतम अर्हता शर्तें: 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित/संगणक विज्ञान/फाइनेंस/फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट विषयों में से किसी एक के साथ योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण एवं संबद्ध विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है (जो परीक्षा लेने वाली संस्था के प्रमाण पत्र से प्रमाणित हो)।
 आयु: प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 सीटों की संख्या: बी0 काम0 (आनस) के लिए: वाणिज्य संकाय (230 M&F) वसन्त महिला महाविद्यालय (77 F) डी.ए.वी. पी0 जी0 कॉलेज (184 M&F) आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज (77 F) राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा (पेड सीट, फीस संरचना के आधार पर) (92 M&F)
- * **बी.काम. (आनस) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट:** यह पाठ्यक्रम केवल राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में चलेगा जो कि स्पेशल कोर्सस ऑफ स्टडीज के रूप में होगा और इसकी फीस ₹ 20,000 प्रतिवर्ष + अन्य रेगुलर फीस विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी। इसमें अधिकतम सीट 50 और न्यूनतम सीट 25 होगी। काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी को अपना विकल्प/वरीयता बी0 काम0 (आनस) / बी0 काम0 (आनस) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट के लिए देना होगा और प्रवेश अभ्यर्थी की मेरिट एवं विकल्प/वरीयता के

आधार पर होगा। यदि बी० काम० (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या न्यूनतम सीट से कम होगी तो उस वर्ष यह कोर्स नहीं चलेगा।

- (iv) बी.एस.-सी. (आनर्स) गणित समूह: अवधि : (त्रिवर्षीय : 6 सत्र) कूट संख्या-181
न्यूनतम अर्हता शर्तेः 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषयों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण। विषय श्रेणियाँ: भौतिकी, गणित तथा निम्नविषयों में से कोई एक हो: रसायन, सांख्यिकी भूर्गभूशास्त्र, संगणक विज्ञान, इन्फारमेटिक्स प्रैविटसेस, भूगोल। उक्त संबद्ध तीनों विषयों में प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है (जो परीक्षा लेने वाली संस्था के प्रमाण पत्र से प्रमाणित हो)
आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सीटों की संख्या: विज्ञान संकाय (460 M&F) महिला महाविद्यालय (77 F)
- (v) बी.एस.-सी. (आनर्स) जीव विज्ञान समूह: अवधि : (त्रिवर्षीय : 6 सत्र) कूट संख्या-182
न्यूनतम अर्हता शर्तेः 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषयों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण। विषय श्रेणियाँ: भौतिकी, रसायन तथा निम्नविषयों में से कोई एक हो: जीव विज्ञान, भूर्गभूशास्त्र, भूगोल। उक्त संबद्ध तीनों विषयों में प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है (जो परीक्षा लेने वाली संस्था के प्रमाण पत्र से प्रमाणित हो)
आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सीटों की संख्या: विज्ञान संकाय (307 M&F) महिला महाविद्यालय (154 F)
- (vi) शास्त्री (आनर्स): अवधि : (त्रिवर्षीय) कूट संख्या-187
न्यूनतम अर्हता शर्तेः (अ) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की मध्यमा/मध्यमा/उत्तरमध्यमा/उपशास्त्री/इण्टरमीडिएट अथवा 10+2 या समकक्ष परीक्षा के कुल योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण और (ब) सम्बन्धित परीक्षा में संस्कृत का एक विषय होना अनिवार्य है तथा अभ्यर्थी को उसमें भी उत्तीर्ण होना चाहिए।
 ऐसे अभ्यर्थी जो 10+2 उत्तीर्ण होने के उपरान्त काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संस्कृत में एक वर्षीय सर्टफिकेट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तथा वे 10+2 परीक्षा और एक वर्षीय सर्टफिकेट पाठ्यक्रम परीक्षा में भी कम से कम 50% अंक प्राप्त किये हो, वे भी अर्ह होंगे।
आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सीटों की संख्या: संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय (92 M&F)

ब व्यावसायिक पाठ्यक्रमः

- (i) बी.एस.-सी. (कृषि): अवधि : (चतुर्वर्षीय: 8 सत्र) कूट संख्या-135
न्यूनतम अर्हता शर्तेः (अ) 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा कृषि अथवा विज्ञान, (भौतिकी, रसायन, गणित/जीव विज्ञान के साथ) न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
 (ब) आयुः आयु प्रवेश वर्ष में 1 जुलाई को 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सीटों की संख्या: कृषि विज्ञान संस्थान (123 M&F)
- (ii) बी. एड./ बी. एड. (स्पेशल): अवधि : (एकवर्षीय) विषय कूट सं0: तालिका 1 में दिया गया है।
 (अ) न्यूनतम अर्हता शर्तेः स्नातक (कम से कम 10+2+3 पद्धति के अन्तर्गत) [शास्त्री भी] सभी विषयों के तीनों वर्षों के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित। अभ्यर्थी मुख्य विषय ** के रूप में स्नातक स्तर पर कम से कम एक स्कूल* विषय अवश्य लिया हो।
 अथवा

- (ब) एम.ए./एम.एस.सी./एम.काम./आचार्य प्राप्तांक के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित। अभ्यर्थी स्नातक स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम एक स्कूल* विषय मुख्य विषय ** के रूप में अवश्य लिया हो।

* स्कूल विषयः हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान (भौतिकी और/या रसायन), जीव विज्ञान (जन्तु विज्ञान और/या वनस्पति विज्ञान), गणित, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास (या प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति), भूगोल, राजनीति विज्ञान (या नागरिक शास्त्र), गृहविज्ञान, सांख्यिकी।

यहाँ बी० एड०/बी० एड० (स्पेशल) में पाँच समूह रहेगा; जैसे; (अ) भाषा समूह (ब) जीव विज्ञान (स) भौतिक विज्ञान (द) गणित (य) मानविकी और सामाजिक विज्ञान। अभ्यर्थी को किसी विशेष वर्ग में पात्र होने के लिए निम्नांकित टेबुल में कोई एक मुख्य विषय ** स्नातक स्तर पर (कम से कम दो वर्ष)/परास्नातक स्तर पर पढ़ा होना चाहिए। विषय कूट संख्या टेबुल में दी गयी है।

तालिका 1:

	समूह	स्नातक/परास्नातक स्तर पर मुख्य विषय	कूट संख्या
अ.	भाषा समूह	हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत	141
ब.	जीव विज्ञान	वनस्पति विज्ञान/प्राणि विज्ञान/रसायनशास्त्र/गृह विज्ञान	142
स.	भौतिक विज्ञान	भौतिक विज्ञान/रसायनशास्त्र/गणित	143
द.	गणित	गणित/सांख्यिकी	144
य.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	इतिहास अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व/भूगोल /अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र /वाणिज्य	145

** मुख्य विषय वे हैं जिनके प्राप्तांकों को योग के प्राप्तांक प्रतिशत की गणना फाइनल (डिग्री) मार्कशीट में सम्मिलित किया जाता हो तथा वे विषय स्नातक/परास्नातक स्तर पर कम से कम दो वर्ष अध्ययन किये गये हों। स्नातक स्तर पर यदि रसायन शास्त्र का अध्ययन भौतिक विज्ञान वर्ग में किया गया हो तो इसे भौतिक विज्ञान वर्ग में माना जायेगा, जबकि स्नातक स्तर पर ही रसायन शास्त्र का अध्ययन यदि जीव विज्ञान वर्ग में किया गया हो तो इसे जीव विज्ञान वर्ग में माना जायेगा। यदि स्नातक स्तर पर गणित का अध्ययन भौतिक विज्ञान वर्ग में किया गया हो तो इसे भौतिक विज्ञान वर्ग में माना जायेगा।

महत्वपूर्णः— अपनी शैक्षिक योग्यतानुसार विषय समूह चुनने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। बी० एड०/बी० एड० (स्पेशल) की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाला अभ्यर्थी कोई एक विषय समूह चुन सकेगा, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। पात्रतानुसार विषय समूह का चयन न करना और/अथवा चयनित वर्ग में परीक्षा न देने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा पहली बार चुना गया विषय समूह ही अंतिम होगा।

टिप्पणीः— काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी को बी० एड०/बी० एड० (स्पेशल) पाठ्यक्रम के चुनाव का वरीयता क्रम देना होगा एवं दिया गया वरीयता क्रम अंतिम होगा।

बी० एड० (स्पेशल) पाठ्यक्रम के माध्यम से दृष्टिहीनता एवं मूकबधिर रूप से विकलांग बच्चों को प्रशिक्षित करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। वर्तमान में संकाय, बी० एड० (स्पेशल) के अन्तर्गत 2 विशिष्टताएं (स्पेशलिटीज) बधिर, और दृष्टिहीन विकलांगताओं के पाठ्यक्रम चलायेगी। यूईटी की योग्यता सूची के आधार पर, बी० एड० (स्पेशल) के दृष्टि विकलांगता के छात्रों को 300/- प्रतिमाह सहयोग राशि देने की व्यवस्था है।

सीटों की संख्या: (अ) बी० एड०— [बी० एच० यू० परिसर, कमच्छा (276M&F)], राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकच्छा, मीरजापुर [(153 M&F) पेड सीट फीस संरचना के अनुसार]; एमपीजीसी (107 F), वीसीडब्ल्यू (107 F); [सीटों का विस्तृत विवरण नीचे दिया है।]
(ब) बी० एड० (स्पेशल)— शिक्षा संकाय (M&F) दृष्टिहीन: 34, मूक बधिर: 34

बी० एड० के लिए विभिन्न समूहों के सीटों का विवरण

संस्था/संकाय/महाविद्यालय	विषय समूह					योग
	भाषा समूह	जीव विज्ञान	भौतिक विज्ञान	गणित	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान	
	ट	ब	स	द	य	
शिक्षा संकाय, कमच्छा	46	54	54	30	92	276
राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकच्छा, मीरजापुर	24	31	31	17	50	153
वसन्त महिला महाविद्यालय, राजधानी	31	15	15	08	38	107
आर्य महिला पी० जी० कालेज	31	15	15	08	38	107

बी० एड० (स्पेशल) के लिए विभिन्न समूहों के सीटों का विवरण

शिक्षा संकाय, कमच्छा, वाराणसी

विकलांगता विषय क्षेत्र	विषय समूह					योग
	भाषा समूह	जीव विज्ञान	भौतिक विज्ञान	गणित	मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान	
	ट	ब	स	द	य	
दृष्टिहीन	5	6	6	5	12	34
मूक बधिर	5	6	6	5	12	34

टिप्पणी [बी० एड०/बी० एड० (स्पेशल) हेतु]: अनु० जाति०, अनु० जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक विकलांगता का आरक्षण विश्वविद्यालय नियमानुसार होगा। यदि सीटों की संख्या कम हुई तो संकाय की प्रवेश समिति को अधिकार होगा कि वह आरक्षित श्रेणी की सीटें व्यावहारिक तौर पर निर्धारित करें ताकि यथासंभव सभी आरक्षित श्रेणी उपलब्ध सीटों से अपना आरक्षण प्राप्त कर सकें।

(iii) एल-एल. बी.

अवधि : (त्रिवर्षीय, छ. सत्र) कूट संख्या-151

न्यूनतम अर्हता शर्तेः बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम./शास्त्री (कम से कम 10+2+3 पद्धति) में तीनों वर्षों के सभी विषयों के आधार पर परीक्षा के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित या एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये विधि परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य (10+2+3) उपाधि तीनों वर्षों के सभी विषयों के आधार पर न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण (योग में प्राप्तांक का प्रतिशत जैसा ऊपर बताया गया है के आधार पर)।

सीटों की संख्या: विधि संकाय (384 M&F)

(iv) बी० पी० एड० :

अवधि : (एकवर्षीय) कूट संख्या-152

न्यूनतम अर्हता शर्तेः (अ) स्नातक 10+2+3 पद्धति के अनुसार तीनों वर्षों में सभी विषयों (उन विषयों को छोड़कर जिनमें केवल पास होना होता है तथा प्राप्तांकों को अंतिम मार्कशीट के प्राप्तांक योग में जोड़ा नहीं जाता है) के आधार पर योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण और

(ब) आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और

(स) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षापरिषद (एन० सी० टी० ई०) के मानकों के अनुसार अभ्यर्थी किसी अन्तर्महाविद्यालयीय/अन्तर्संकायीय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय की) खेलकूद प्रतियोगिता में निश्चित रूप से सम्मिलित हुआ हो तथा कम से कम तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, या अन्तर्विश्वविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता में सम्मिलित हुआ हो।

[व्यक्तिगत अभ्यर्थी जो संबन्धित भारतीय राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा आयोजित किसी कनिष्ठ/वरिष्ठ राष्ट्रीय चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हो वे भी अर्ह हैं। (संघ/परिसंघ द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता में सम्मिलित अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगे)] और

(द) प्रवेश परीक्षा वर्ष की 1st जुलाई से पहले तीन वर्षों की अवधि में ही सम्मिलित हुए अभ्यर्थी अर्ह माने जायेगे और

(य) बी. पी. एड. प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थी को खेलकूद में सम्मिलित होने के प्रमाण पत्र की स्थिति में बोनस अंक प्राप्त करने हेतु विचार किया जा सकता है, ऐसे अभ्यर्थी को अपने द्वारा उच्चतम स्तर के खेलकूद में भाग लेने का स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रतिलिपि लगाना आवश्यक होगा। (बी. पी. एड. से सम्बन्धित प्रश्न पत्र की अवधि एवम् प्रारूप धारा का अवलोकन करें)।

संलग्न स्वहस्ताक्षरित खेलकूद प्रतियोगिता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि पर अभ्यर्थी को अपना नाम, फार्म सं० अंकित करते हुए हस्ताक्षर भी करना चाहिए।

नोट: अर्ह अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण वि० वि० के छात्र स्वास्थ्य केन्द्र पर होगा। प्रवेश केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जिन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित किया गया हो।

सीटों की संख्या: 77 (M&F):

कुल सीटों की 15% सीटें महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होगी। यदि महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो आवंटित महिला सीट को पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(v) बी.म्यूज. (वाद्य संगीत: सितार):

बी.म्यूज. (वाद्य संगीत: बाँसुरी):

बी.म्यूज. (वाद्य संगीत: वायलिन):

बी.म्यूज. (वाद्य संगीत: तबला):

बी.म्यूज. (नृत्य: कथक):

बी.म्यूज. (नृत्य: भरतनाट्यम):

बी.म्यूज. (कंठ संगीत):

न्यूनतम अर्हता शर्तेः (अ) 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि

और

(ब) कंठ संगीत/वाद्य संगीत/नृत्य (कत्थक/भरतनाट्यम) उपरोक्त पाठ्यक्रमों में से किसी स्तर पर एक विषय होना चाहिए तथा अभ्यर्थी उसमें भी उत्तीर्ण हो; या इस विश्वविद्यालय का त्रिवर्षीय डिप्लोमा, कंठ संगीत/वाद्य संगीत/नृत्य (कत्थक और भरतनाट्यम) उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण; या निम्नलिखित में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण :

(कंठ/वाद्य संगीत/नृत्य हेतु)

प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की सीनियर डिप्लोमा परीक्षा/भातखण्डे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की मध्यमा परीक्षा/मध्य प्रदेश सरकार की संगीत में मध्यमा परीक्षा/ए.बी.जी.एम.वी. मण्डल मुम्बई की मध्यमा परीक्षा/इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की मध्यमा परीक्षा।

(केवल नृत्य हेतु)

कला क्षेत्र, चेन्नई द्वारा प्रदत्त पंचवर्षीय अंश कालिक डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण/तामिलनाडु सरकार द्वारा संचालित सीनियर सर्टिफिकेट उत्तीर्ण परीक्षा/भारतीय नृत्य मन्दिर, पटना द्वारा प्रदत्त पंचवर्षीय डिप्लोमा

(स) उपर्युक्त सभी संगीत/नृत्य के प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक अर्जित करना आवश्यक है (अनु० जाति/अनु० जनजाति हेतु मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है)

सीटों की संख्या: मंच कला संकाय : वाद्य संगीत (सितार: 15 M & F); वाद्य संगीत (बाँसुरी: 15 M & F); वाद्य संगीत (वायलिन: 15 M & F); वाद्य संगीत (तबला: 15 M & F); नृत्य (कथक: 15 M & F); नृत्य (भरतनाट्यम: 15 M & F); कंठ संगीत (15 M & F)

(vi) बी.एफ.ए. :

अवधि : (चतुर्वर्षीय)

कूट संख्या—180

न्यूनतम अर्हता शर्तेः 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा के योग में न्यूनतम 50% अंकों सहित उत्तीर्ण।

आयुः प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई को आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सीटों की संख्या: दृश्य कला संकाय (77 M&F)

2. अनुसूचित जाति (अ० जा०), अनुसूचित जनजाति (अ० ज० जा०), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ० पि० व०) और शारीरिक विकलांग (शा० वि०) के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम अर्हता में छूट

उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में [एल० एल० बी० को छोड़कर] अर्ह परीक्षा में योग में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त करने की कोई बाध्यता नहीं होगी, परन्तु उन्हें अर्ह परीक्षा में पास होना चाहिए तथा सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षा में बैठा होना चाहिए। एल० एल० बी० में अभ्यर्थी को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 35% प्राप्तांक होना चाहिए। योग में प्राप्तांकों के प्रतिशत की गणना तीनों वर्षों में अध्ययन किये हुए सभी विषयों के आधार पर और एल० एल० बी० के पाठ्यक्रम में दिये गये प्रक्रिया के आधार पर होगी। सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों को न्यूनतम आवश्यक अर्हता परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के योग में 5 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी।

3. शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट

शारीरिक विकलांगता प्राप्त अभ्यर्थियों को, उन विभिन्न पाठ्यक्रमों में, जिनमें प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है, 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में है।

4. न्यूनतम अहर्ता शर्तों के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ

- (i) वे अभ्यर्थी भी जो अहर परीक्षा के अन्तिम वर्ष में सम्मिलित हो रहे/रही हों, प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते/सकती है और प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हो सकते/सकती है, परन्तु अभ्यर्थी को अहर परीक्षा का मूल अंकपत्र प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी कोर्स में अस्थायी प्रवेश हेतु होने वाली काउन्सिलिंग के लिए बुलाया जायेगा जिनके परीक्षाफल काउन्सिलिंग की तिथि तक घोषित नहीं हुए हैं, को भी निम्नलिखित शर्तों के साथ सशर्त प्रवेश देने हेतु अनुमति किया जायेगा कि:
 - (i) वे सक्षम अधिकारी (जैसे: परीक्षा नियंता, कुलसचिव इत्यादि) से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि निर्धारित अहर परीक्षा का परीक्षाफल अभी तक नहीं निर्गत हुआ है।
 - (ii) अहर डिग्री से सम्बन्धित पूर्व परीक्षाओं के अंक पत्रों से यह स्पष्ट हो कि अभ्यर्थी न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत कुल योग के अंकों में प्राप्त किया है (उदाहरण हेतु पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में अन्तिम वर्ष की परीक्षा जिसका परीक्षाफल काउन्सिलिंग की तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, को छोड़कर 50%)। यह अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए आवश्यक नहीं है।
 - (iii) अभ्यर्थी को यह लिखित शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वह अहर परीक्षा की मार्कशीट प्रवेश वर्ष की 14 अगस्त या उसके पूर्व जमा कर देगा और यदि वह मूल अंकपत्र प्रवेश वर्ष की 14 अगस्त या उसके पूर्व जमा करने में असफल होता/होती है तो उसका सशर्त प्रवेश स्वयं ही निरस्त हो जायेगा और वह अभ्यर्थी शुल्क वापसी हेतु कोई दावा नहीं करेगा/करेगी। इसके अतिरिक्त यदि उसका अहर परीक्षा में कुल योग में प्राप्तांक प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों से कम होगा तो भी उसका प्रवेश स्वयं: निरस्त हो जायेगा और अभ्यर्थी शुल्क वापसी हेतु कोई भी दावा नहीं कर सकेगा। यह छूट पूरक परीक्षाओं/पुर्नमूल्यांकन परीक्षाफल हेतु लागू नहीं है।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी जो इस विश्वविद्यालय के संस्थागत छात्र के रूप में किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश परीक्षा द्वारा पूर्व में पंजीकृत हुए हों और उस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर रहे हों, उन्हें विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उसी पाठ्यक्रम के उन्हीं विषय समूहों में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्राप्त नहीं होगी यदि उस सम्बन्धित संकाय के आर्डिनेंस में इस तरह की अनुमति न दी गयी हो। पुनर्च ऐसे अभ्यर्थी जो सम्बन्धित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उपस्थिति के अभाव में अहर नहीं थे या समय से परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं किए उन्हें प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी यदि वे अन्यथा अहर होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में या उच्चतर वर्ष में पंजीकृत हो वे प्रवेश परीक्षा में उक्त पाठ्यक्रम या विषय समूह परिवर्तन हेतु भी बैठने हेतु अहर नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी (बी० एस० सी० प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर) जिनकी उपस्थिति 25 प्रतिशत या उससे अधिक थी परन्तु निर्धारित उपरिस्थिति का प्रतिशत परीक्षा में बैठने हेतु से कम हो उन्हें प्रवेश परीक्षा में सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी उसी पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश हेतु अहर हैं। चूंकि (बी० एस० सी० प्रथम सेमेस्टर) के ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पुनः प्रवेश का प्राविधान नहीं है, वे सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अहर होंगे। वस्तुतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जो अपना विषय समूह परिवर्तित करना चाहते हों उसी पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं।
- (iii) यदि अभ्यर्थी ने अहर्ता परीक्षा उत्तीर्ण की है जहाँ ग्रेड प्लाइंट दिये जाते हैं तथा:
 - (a) यदि ग्रेडशीट ग्रेड प्लाइंट के समकक्ष अंक प्रतिशत को नहीं दर्शाता है तो अभ्यर्थी को संबंधित संस्थान से समकक्ष अंक प्रतिशत का प्रमाणपत्र अथवा अंक प्रतिशत निकालने सम्बन्धी सूत्र का प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
 - (b) यदि ग्रेडशीट पर ग्रेड प्लाइंट से अंकों का प्रतिशत निकालने का सूत्र या उसका प्रतिदर्श दिया हो, तो अभ्यर्थी को उस ग्रेडशीट या उपाधि के दोनों पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (iv) सम्पूर्ण योग में प्राप्तांक प्रतिशत की गणना में संस्था द्वारा प्रदत्त कृपांक सम्मिलित नहीं होंगे। विषय/विषयों में प्राप्त अंक जिनमें केवल उत्तीर्ण होना इच्छित है, भी सम्मिलित नहीं होंगे। जैसे कि अनिवार्य भाषा, अनिवार्य पर्यावरण इत्यादि। इसी प्रकार अतिरिक्त विषय के नम्बर जो सम्पूर्ण प्रतिशत/श्रेणी सुधार हेतु यदि कोई हों तो उन्हें सम्पूर्ण योग के प्रतिशत की गणना में विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु नहीं माना जायेगा। इसके और स्पष्टीकरण हेतु कृपया खण्ड “न्यूनतम अहर्ता शर्तों के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ” क्रम सं० (v) नीचे देखें।
- (v) योग के प्राप्तांक का प्रतिशत की गणना अहर परीक्षा की फाइनल मार्कशीट के आधार पर की जायेगी। स्नातक परीक्षा में जहां कि फाइनल मार्कशीट दो या दो से अधिक प्रकार की जैसे कि केवल आनर्स विषय के आधार पर या तीनों वर्षों में अध्ययन किये गये सभी विषयों के आधार पर हो के योग के प्राप्तांक के प्रतिशत गणना सभी अध्ययन किये गये विषयों के प्राप्तांक के आधार पर की जायेगी। उदाहरण के लिए— बी० ए० (आनर्स) / बी० एस० सी० (आनर्स) का० हि० वि० वि० से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पहले दो प्रकार की मार्कशीट जैसे 1000 के अंकों के आधार पर या 1800 के अंकों के आधार पर दी जाती थी। इस प्रकार की स्थिति में कुल योग के प्राप्तांक के प्रतिशत की गणना 1800 अंकों के आधार पर होगा बजाय 1000 के। जहां अन्तिम अंकपत्र केवल आनर्स विषयों पर आधारित हो, लेकिन विद्यार्थी अन्य सहायक/उसी तरह के अन्य विषय उसी दौरान अध्ययन किया हो, तो उनके अंकों को भी कुल योग के प्राप्तांक के गणना में सम्मिलित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के संदेह/व्याख्या की कठिनाई की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
- (vi) अ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्य उपाधि/प्रमाण पत्र ही प्रमाण पत्र/उपाधि ही समतुल्य माने जायेगे।
 - (b) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की दूररथ शिक्षा परिषद/भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) को ही दूररथ शिक्षा की डिग्री/प्रमाणपत्रों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार है। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अस्थायी तौर पर प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित

होने की अनुमति होगी, किन्तु उन्हें इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (IGNOU) की दूरस्थ शिक्षा परिषद अथवा अन्य मान्य परिषद से कोर्स की मान्यता/अनुमोदन संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा।

- (vii) 'अभ्यर्थी की उप्र प्रवेश वर्ष की पहली जुलाई को 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए', इसका तात्पर्य है कि प्रवेश वर्ष 2010 के लिए अभ्यर्थी का जन्म पहली जुलाई 1988 को या उसके बाद का होना चाहिए।
- (viii) पाठ्य नियमावली में कुछ भी उल्लिखित होने के बावजूद ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश लिया जाता है शैक्षणिक सत्र से सम्बन्धित सूचना पुस्तिका में वर्णित अपेक्षित पात्रता के आधार पर ही प्रवेश लिया जायेगा।
- (ix) जाली प्रमाण पत्रों के साथ जमा किया गया आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बाद की किसी भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जायेगा।
- (x) अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न उपाधि/अंक पत्र/प्रमाण पत्र की अन्तिम मान्यता एवं वैधता का निर्णय तथा इस विश्वविद्यालय के किसी भी गत परीक्षा/प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार का अनुचित साधन के प्रयोग न करने की सम्पुष्टि भी सम्बन्धित पाठ्यक्रम के प्रवेश के समय की जायेगी।
- (xi) स्नातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र अथवा लिखित परीक्षा में उत्तीर्णीक अर्जित कर लेने मात्र से ही अभ्यर्थी उस पाठ्यक्रम में प्रवेश का हकदार नहीं हो जायेगा। उसे पाठ्यक्रम सम्बन्धी अर्हता शर्तों को पूर्ण करना भी आवश्यक होगा। आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम सम्बन्धी निर्धारित अर्हता शर्तों को पूर्ण करने के प्रति पूर्णरूपेण आश्वस्त हो जाना चाहिये।
- (xii) यदि किसी अभ्यर्थी को असावधानीवश प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी जाती है, जो अन्यथा न्यूनतम अर्हता—शर्तें पूरी नहीं करता है, तो वह बाद में इसे आधार बनाकर यह दावा नहीं कर सकेगा/सकेगी कि वह अर्हता—शर्तें पूरी करता/करती है।

विश्वविद्यालय किसी भी समय प्रवेश निरस्त/मना करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि यह ज्ञात हो कि:

- (i) अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता शर्तें पूरी नहीं करता/करती है।
- (ii) जाली दस्तावेज जमा किये गये हैं।
- (iii) कोई अन्य वैध कारण।

- (xiii) इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्था के किसी अन्य पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये योग्य नहीं होंगे।

5. आरक्षण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति:

- (i) प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति के लिये 15% तथा अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5% स्थान आरक्षित रहेंगे। इन आरक्षित स्थानों पर प्रवेश प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी का प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना और अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों का 'बार कौसिल आफ इण्डिया' के नियमानुसार अर्हता परीक्षा में तीनों वर्षों में सभी विषयों के आधार पर न्यूनतम 35% अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उनके स्वयं सत्यापित अनुसूचित जाति/जनजाति होने का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा। यह प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से पुष्टि कराया जायेगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी अधोलिखित हैं:-

- (अ) जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/इक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/इक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर।
- (ब) चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट।
- (स) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।
- (द) उस क्षेत्र का प्राखण्डिक अधिकारी (सब डिविजनल ऑफिसर) जहाँ पर अभ्यर्थी अथवा उसका परिवार सामान्यतया निवास करता हो। राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार पद से नीचे का न हो।
- (य) प्रशासक/प्रशासक—सचिव/विकास अधिकारी (लक्ष्यांगत समूह)।

अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिये कि अन्य किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संवर्ग का है तो उसकी जाति/जनजाति भारत सरकार की परिनियमावली में दर्ज होना आवश्यक है। जाति प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से होना चाहिए :- (अ) अभ्यर्थी की जाति/जनजाति का नाम (ब) क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है (स) जिला एवं राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश का नाम जहाँ का वह सामान्यतया निवासी है और (द) भारत सरकार की परिनियमावली जिसके अन्तर्गत उसकी जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

यदि कोई अभ्यर्थी किसी अन्य श्रेणी (उदाहरणार्थः शारीरिक विकलांगता/कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग आदि) में प्रवेश लेता/पाता है तो उसे उस श्रेणी की न्यूनतम आवश्यक अर्हता संतुष्ट करना होगा।

- (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग (अ० पि० व०):

अन्य पिछड़ा वर्ग (जो क्रीमीलेयर से आच्छादित न हो) के अभ्यर्थियों को 27% का आरक्षण विभेन्न पाठ्यक्रमों में दिया जायेगा।

अ०पि०व० का प्रमाण पत्र वही सक्षम अधिकारी जारी करेगा जैसा उपरोक्त खंड 5 (i) में दिये अनु० जाति/अनु०जनजाति के लिए दिया गया है। अ० पि० व० का प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जब उसमें दर्शायी गई जाति केन्द्र सरकार की सूची में शामिल हो। इसके अतिरिक्त अ०पि०व० के प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि अभ्यर्थी क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आता है।

(iii) शारीरिक विकलांग:

शारीरिक विकलांगता के अभ्यर्थियों हेतु 3% सीटें आरक्षित होगी : दृष्टि विकलांगता (1%) + बधिर विकलांगता (1%) + अरिथ विकलांगता (1%) (क्षैतिज स्तर पर आरक्षण)। ऐसे विकलांग अभ्यर्थियों को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया, विकलांगता प्रमाण पत्र, की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। सम्मानित अस्थायी प्रवेश हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को बी.एच.यू. द्वारा गठित चिकित्सा समिति (मेडिकल बोर्ड) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और, यह चिकित्सा समिति विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किसी अन्य प्रमाणित संस्था को यदि आवश्यक हुआ तो इस परीक्षण कार्य हेतु सन्दर्भित कर सकती है। विश्वविद्यालय द्वारा गठित चिकित्सा समिति का निर्णय अंतिम होगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा केवल वाराणसी केन्द्र पर होगी।

दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिये 'लेखक':

दृष्टिहीन अभ्यर्थी अपनी प्रवेश परीक्षा की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व निर्धारित आवेदन पत्र पर परीक्षा-नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को आवेदन करें। इसके लिये अभ्यर्थी को परीक्षा नियंता कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर के एक फोटो (जैसी प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र पर लगायी है) चिपका कर जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष के समक्ष रोग-विषयक जांच के लिए उपस्थित होना होगा और लेखक देने से पूर्व विभागाध्यक्ष की सलाह / संस्तुति पर विचार किया जायेगा। ऐसे सभी दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिये प्रवेश परीक्षा वाराणसी में केवल एक ही केन्द्र पर होगी।

टिप्पणी: बी० पी० ईड० में, शारीरिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश मान्य नहीं है। क्योंकि इस पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को खेलकूद की प्रक्रिया करना आवश्यक है।

जहां कहीं सीटों की संख्या कम होगी, वहां आरक्षित वर्ग की सीटों की गणना हेतु उन सीटों को एक वर्ग में संयुक्त कर गणना करने के लिए विश्वविद्यालय के पास अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अतिरिक्त स्थान:

(i) का० हि० वि० कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये : 5% अतिरिक्त स्थान, [बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट को छोड़कर] विश्वविद्यालय के वर्तमान सेवारत स्थायी कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियों (परिवीक्षा के कर्मचारी भी समिलित) के लिये अथवा परीक्षा वाले शैक्षणिक सत्र से ठीक एक सत्र पिछले शैक्षणिक सत्र में सेवारत रहे हों, आरक्षित होंगे बशर्ते ऐसे अभ्यर्थी न्यूनतम अर्हता आवश्यकतायें पूर्ण करते हों एवं इस श्रेणी हेतु दावा किया हो तथा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हों। विश्वविद्यालय कर्मचारी पुत्र/पुत्री वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे कर्मचारी के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय कर्मचारी पुत्र/पुत्री वर्ग से सम्बन्धित है, जमा करें। ऐसे अभ्यर्थियों को, यदि काउन्सिलिंग के लिए बुलाया गया तो, उन्हें उपकुलसचिव (प्रशासन) द्वारा हस्ताक्षरित एवं जारी किया गया विश्वविद्यालय कर्मचारी पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर ही जमा करना होगा। इसी प्रकार ऐसे कर्मचारी जो वर्तमान में स्थायी रूप से किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में कार्यरत हैं या प्रवेश परीक्षा वाले शैक्षणिक सत्र से एक सत्र पूर्व में सेवारत थे उनकी पुत्रियों के लिये (पुत्र-पुत्रियों के लिये यदि डी.ए.वी. पी. जी. कालेज में हों) सम्बन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय में 5% अतिरिक्त स्थान आरक्षित होंगे, बशर्ते अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता अर्हता पूर्ण करता हो एवं प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो। जहां कहीं पर कर्मचारी प्रतिपाल्यों के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्राविधान है, यह प्राविधान उन कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा जिन्होंने इस विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर अथवा शोध वैज्ञानिक ए. बी और सी पर कार्यभार ग्रहण किया है। इस प्राविधान को कर्मचारी प्रतिपाल्यों हेतु उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त एक सीट और सृजित कर दिया जायेगा अगर उपरोक्त प्रतिपाल्यों का प्रवेश प्राप्तांक कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग में प्रवेश पाये अन्तिम अभ्यर्थी के प्रवेश प्राप्तांक से कम न हो (नोट : कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग के लिए अतिरिक्त सीटों के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।)

(ii) पेड़ सीट: कठिपय पाठ्यक्रमों में अतिरिक्त 'पेड़ सीट' (कुल सीटों की संख्या के 10% तक) का प्राविधान है जिसकी विस्तृत जानकारी प्रवेश के समय संबद्ध संकाय / विभाग से प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सम्बन्धित संकाय / विभाग से सम्बन्धित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पेड़ सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी हेतु सदैव सम्पर्क बनाये रखें।

(iii) आई. सी. ए. आर. सीट बी० एस० सी० (कृषि) के लिए: 15% अतिरिक्त सीटों का आई. सी. ए. आर. द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उक्त संस्थान द्वारा नामित अभ्यर्थियों के लिये प्रावधान है।

(iv) स्पॉट्स सीट: विभिन्न संकायों/संस्थानों में स्पॉट्स सीट के अन्तर्गत उपलब्ध अतिरिक्त सीटों का प्राविधान नीचे दिये गये विवरणानुसार होगा:

क्रम. सं.	संकाय	स्पॉट सीट (अतिरिक्त सीटें*)
1.	कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान	10 (प्रत्येक में)
2.	वाणिज्य	5
3.	कृषि, शिक्षा, मंच कला, दृश्य कला, सं. वि. धर्म विज्ञान संकाय	1 (प्रत्येक में)
4.	डी.ए.वी.पी.जी. कालेज	5

टिप्पणी: स्पेशल पाठ्यक्रमों में यह प्राविधान उपलब्ध नहीं है।

अभ्यर्थियों को केवल विश्वविद्यालय खेलकूद परिषद के अनुमोदन के आधार पर स्पॉट सीट में प्रवेश हेतु विचार किया जायेगा तथा स्पॉट सीट पर प्रवेश के लिए कोई भी अभ्यर्थी अहं होगा: (क) अहं परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए (ख) सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ होना चाहिए (ग) एआईयू की नियमों के अन्तर्गत; अंतरविष्वविद्यालीय प्रतियोगिता में खेलने की शर्त पूरी करता हो (घ) कम से कम 10+2 स्तर पर सब जूनियर / जूनियर / यूथ / सीनियर / स्कूल राष्ट्रीय चैम्पीयनशिप में राज्य / यूनिट का प्रतिनिधित्व किया होना चाहिए।

पाठ्यक्रम में प्रवेश अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त योग्यता क्रम (खेल उपलब्धि अंक) के अनुसार किया जायेगा। खेलकूद उपलब्धि अंक निम्न प्रकार से होंगे:

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में सहभागिता:

टीम इवेन्ट	व्यक्तिगत इवेन्ट	अंक
प्रथम एवं द्वितीय पोजीषन	प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पोजीषन	25
तृतीय एवं चतुर्थ	चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठी पोजीषन	20
राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में सहभागिता		15

स्पॉट उपलब्धि अंक का निर्धारण, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर विष्वविद्यालय खेल परिषद द्वारा किया जायेगा।

टिप्पणी: केवल उच्चतम स्तर के प्रदर्शन पर ही विचार किया जायेगा तथा यह अधिकतम 25 अंकों का होगा।

खेल सीट के अन्तर्गत अभ्यर्थी का प्रवेश तभी होगा जब वह विष्वविद्यालय द्वारा निर्मित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्राप्त मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट जो यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी खेल/स्पॉट खेलने के लिए अभी भी शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, प्रस्तुत करेगा।

जो अभ्यर्थी भारत का प्रतिनिधित्व किया है उसे सीधे प्रवेश दिया जायेगा, यदि वह अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण है और पाठ्यक्रम में प्रवेश की अन्तिम तिथि के पूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

(v) विदेशी नागरिकों का प्रवेश : विदेशी नागरिकों हेतु 15% अतिरिक्त सीटों का प्राविधान है जिनमें 5 प्रतिशत सीटें अप्रवासी भारतीय नागरिकों [भारतीय मूल के नागरिक (पी.आई.ओ.)] के बच्चों द्वारा और 5 प्रतिशत गल्फ और दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में कार्यरत भारतीयों के बच्चों द्वारा भरी जायेंगी। इसकी विस्तृत जानकारी अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के कार्यालय, सी/३/३, टैगोर हाउस, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी-221 005 से प्राप्त किया जा सकता है (कृपया हमारी वेबसाइट: www.bhu.ac.in. को देखें।

6. प्रवेश शुल्क

अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये विवरणानुसार प्रवेश शुल्क आवेदन पत्र के साथ “परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय” के नाम क्रास माइकर (मैनेटिक इंक करेक्टर रिकागनिशन) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं जो किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किया गया हो और वाराणसी में भुगतान के पक्ष में देय हो। अभ्यर्थी ध्यान दे कि केवल माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (किसी बैंक द्वारा जारी किया गया) ही स्वीकृत किये जायेंगे।

पाठ्यक्रम	प्रवेश शुल्क	
	समान्य	अनु० जा०/जन० जा०
सभी पाठ्यक्रम शास्त्री (आनर्स) को छोड़कर	400.00 रुपये	150.00 रुपये
शास्त्री (आनर्स)	200.00 रुपये	125.00 रुपये

टिप्पणी: (i) अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पीछे की तरफ (अ) नाम, (ब) पाठ्यक्रम का नाम, (स) पाठ्यक्रम का कोड नम्बर और (द) आवेदन-पत्र संख्या अवश्य लिखें। (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति अवश्य संलग्न करें, तथा आवेदन पत्र के प्रथम पृष्ठ पर निर्धारित खाने में दावा करें अन्यथा उहें रियायती प्रवेश शुल्क का लाभ नहीं मिलेगा। (iii) एक बार रियायती यानी अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात उसका सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा, चाहे वह इसके लिए सामान्य एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बीच के अन्तर की धनराशि जमा करने का अनुरोध ही क्यों न करे। अनु० जाति/अनु० जनजाति अभ्यर्थीयों द्वारा रियायती शुल्क की दर पर जमा किये गये आवेदन पत्र सामान्य वर्ग के अन्तर्गत विचारणीय नहीं होंगे। (iv) अभ्यर्थी द्वारा जमा प्रवेश शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित ही किया जायेगा, और न ही किसी अन्य वर्ष के लिये सुरक्षित रखा जायेगा। (v) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक सही राशि का है तथा निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी करता है :-

- “परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय” के पक्ष में देय है तथा वाराणसी में भुगतान होना है।
- निम्नलिखित जानकारियां सही जगह पर दी गयी हैं: (अ) जारी करने का दिनांक (ब) जारी करने वाली शाखा का नाम एवं कोड संख्या (स) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षर नमूना संख्या (द) राशि अंकों में एवं शब्दों में।
- माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पीछे की तरफ (अ) अभ्यर्थी का नाम, (ब) पाठ्यक्रम का नाम, (स) पाठ्यक्रम का कोड नम्बर और (द) आवेदन-पत्र सं० अवश्य लिखें। (आवेदन पत्र के उपर फार्म संख्या अंकित है)

गिरेश: यदि कोई माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या नान माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट (बैंक द्वारा जारी किया हुआ) अपूर्ण है/सही पक्ष में देय नहीं है, अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा जब तक कि अभ्यर्थी उस माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक को ठीक करा कर रु० 150/- अतिरिक्त शुल्क के साथ दुबारा प्रस्तुत नहीं करता है।

7. आवेदन पत्रों के विक्रय एवं जमा करने की महत्वपूर्ण तिथियाँ

कार्यालय पटल से या डाक द्वारा आवेदन पत्र के विक्रय की प्रारम्भिक तिथि	15.02.2010
डाक से आवेदन पत्र के प्राप्ति हेतु अनुरोध पत्र पहुँचने की अन्तिम तिथि	26.02.2010
कार्यालय पटल से आवेदन पत्र के विक्रय की अन्तिम तिथि	17.03.2010
प्रपूरित आवेदन पत्रों को डाक द्वारा अथवा कार्यालय पटल पर प्राप्ति की अन्तिम तिथि (बिना विलम्ब शुल्क के)	10.03.2010
प्रपूरित आवेदन पत्रों को डाक द्वारा अथवा कार्यालय पटल पर प्राप्ति की अन्तिम तिथि (विलम्ब शुल्क के साथ)	17.03.2010

इस वर्ष आन लाइन फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थी इसके लिए विस्तृत जानकारी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.bhu.ac.in. पर देखें।

नोट: बिना विलम्ब शुल्क के प्रपूरित आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि 10.03.2010 है। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो अपना आवेदन पत्र दिनांक 10.03.2010 या उसके पूर्व जमा करने में समर्थ नहीं होते हैं वे भी अपना आवेदन पत्र 17.03.2010 तक निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क रु0 150/- का माइकर डिमाण्ड ड्राफट जो कि परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम देय हो के साथ जमा कर सकता है।

8. प्रवेश परीक्षा केन्द्र

परीक्षा का आयोजन निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा, बशर्ते सम्बन्धित केन्द्र पर अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त हो:

वाराणसी	दिल्ली	कोलकाता	चेन्नई	हैदराबाद
---------	--------	---------	--------	----------

टिप्पणी: (i) बी.पी.एड., बी.एफ.ए., बी.स्यूज. एवं शास्त्री (आनर्स) की प्रवेश परीक्षा केवल वाराणसी में होगी। (ii) दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को वाराणसी केन्द्र ही आवंटित किया जायेगा। (iii) वाराणसी के अतिरिक्त किसी अन्य परीक्षा केन्द्र को निरस्त करने का अधिकार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। अतएव, अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में वरीयता क्रम से तीन केन्द्रों का चयन करना चाहिये। (iv) अभ्यर्थियों को ध्यान रहे कि एक बार आवंटित परीक्षा केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जायेगा। (v) आवंटित परीक्षा केन्द्र का उल्लेख प्रवेश पत्र में होगा। (vi) परीक्षा केन्द्र के आवंटन का अन्तिम निर्णय करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। (vii) अभ्यर्थियों की अपर्याप्त संख्या एवम् किसी अन्य कारण से कोई भी बाह्य परीक्षा केन्द्र निरस्त किया जा सकता है। उस स्थिति में अभ्यर्थियों को अन्य केन्द्र आवंटित किया जायेगा।

9. आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देश

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र बड़े अक्षरों में रोशनाई या बाल पेन से (कैपिटल लेटर) में (हस्ताक्षर और पता के अतिरिक्त) अपने हस्तलेखन में भरा जाना चाहिये। (पेंसिल द्वारा भरा हुआ फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा)। जहाँ भी कोई सूचना बाक्स में लिखी जानी है वहाँ एक बाक्स में एक ही अक्षर लिखा जाना चाहिये। बड़े अक्षरों में नाम लिखते समय नाम के प्रथम व मध्य शब्दों के बीच तथा मध्य और अन्त शब्दों के बीच या संक्षिप्त नाम के बीच एक बाक्स रिक्त छोड़कर लिखा जाना चाहिये। आवेदन पत्र पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म-तिथि आदि का उल्लेख कक्षा 10/हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुरूप करें। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर उनकी पात्रता निरस्त कर दी जा सकती है।

जो प्रश्न/बिन्दु आपसे सम्बन्धित है उनमें दी जाने वाली सूचनाओं हेतु उपयुक्त गोले को काला करें, जबकि शेष गोलों को खाली छोड़ दे।

विशेष: आवेदन फार्म पर फार्म का नम्बर बायें शीर्ष पर अंकित है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे रिकार्ड हेतु फार्म नम्बर याद रखें जिसकी आवश्यकता भविष्य में पत्राचार हेतु पड़ सकती है।

टिप्पणी: आवेदन पत्र अंग्रेजी भाषा में भरना ही समीचीन होगा।

1. पाठ्यक्रम का नाम: सूचना पुस्तिका में प्रत्येक पाठ्यक्रम की न्यूनतम वांछित अर्हता का वर्णन करते समय, पाठ्यक्रम का नाम भी दिया गया है। जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना है उसका नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें। अभ्यर्थी द्वारा लिखा गया पाठ्यक्रम का नाम ही अंतिम होगा। बी0एड0/बी0एड0(स्पै0) हेतु आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता योग्यता के अनुसार वर्ग का चयन करना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे अभ्यर्थी केवल एक वर्ग चुनेंगे और यदि वर्ग एक बार निर्धारित हो चुका है तो उनके पास उस वर्ग को बदलने का कोई विकल्प नहीं होगा। पात्रतानुसार विषय समूह का चयन न करना और/अथवा चयनित वर्ग में परीक्षा न देने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में एक बार चयनित वर्ग ही अन्तिम है।

2. पाठ्यक्रम की dwV la[;k% सूचना पुस्तिका में न्यूनतम आवश्यक अर्हता वर्णन करते समय पाठ्यक्रम कूट संख्या भी दिये गये हैं। जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है उस पाठ्यक्रम का उपयुक्त पाठ्यक्रम कूट संख्या निर्धारित उपयुक्त तीन खानों में देना आवश्यक है। पाठ्यक्रम का नाम और पाठ्यक्रम की कूट संख्या में भिन्नता होने पर पाठ्यक्रम का नाम ही अंतिम होगा।

कूट संख्या के नीचे दिये गये गोलों में से 3 सम्यक गोलों को काला करें जैसा नीचे उदाहरण में दिया गया है:

उदाहरण 1 : यदि बी.एस.-सी. (आनर्स) जीव विज्ञान समूह की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना है तो लिखें पाठ्यक्रम का नाम, कूट संख्या निम्न प्रकार लिखें और गोले को भी भरें।

बी.एस.-सी. (आनर्स) जीव विज्ञान समूह

1	8	2
0	0	0
●	1	1
2	2	●
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	●	8
9	9	9

उदाहरण 2 : यदि बी० एड० (जीव विज्ञान समूह) की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना है तो लिखें पाठ्यक्रम का नाम, कूट संख्या निम्न प्रकार लिखें और गोले को भी भरें ।

बी० एड० (जीव विज्ञान समूह)

1	4	2
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9

- फोटोग्राफ़ : अभ्यर्थी हाल ही में खिंचवाया गया कलर फोटो, दिये गये बाक्स में चिपकायें। ऐसे आवेदन पत्र जिनपर फोटोग्राफ़ की जिराक्स प्रति लगी हो निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश होने की दशा में भविष्य में प्रयोग के लिये पर्याप्त संख्या (छ: कापी) अपना वही फोटोग्राफ़ रखने का परामर्श दिया जाता है। फोटोग्राफ़ हल्के पृष्ठभूमि के सापेक्ष सम्पूर्ण चेहरे के अग्रभाग की समस्त आकृतियों को दर्शानेवाला एवं अद्यतन होना चाहिये। औँख एवं कान दृश्य होने चाहिये। रंगीन अथवा काले चश्मों में खिचवाए फोटो स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
 - माइक्र डिओ ड्राइवर्स चेक का विवरण: दिये गये उपयुक्त बाक्सों में जारी करने वाले शाखा का नाम, पता और कोड नम्बर डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक संख्या दिनांक और राशि को लिखे।
डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के पीछे (अ) अभ्यर्थी का नाम (ब) कोर्स कोड का नाम (स) कोर्स कोड नम्बर (द) आवेदन पत्र संख्या भी लिखें।
 - अभ्यर्थी का नाम : बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिये (जैसा नीचे दर्शाया गया है) और जैसा ऊपर निर्देशित है। दो शब्दों के बीच में एक बाक्स छोड़कर। नाम के पहले मि०, क०, कमारी आदि न लिखें।

उदाहरण : यदि आपका नाम स्वाति प्रिया निशिकान्त है तो लिखे

S W A T T I P R I Y A N I S H I K A N T

- 6.. पिता का नाम : यहाँ पिता का नाम बड़े अक्षरों में लिखें, जैसा ऊपर निर्देशित है।
 7. माता का नाम : यहाँ माता का नाम बड़े अक्षरों में लिखें, जैसा ऊपर निर्देशित है।
 8.. जन्मतिथि : अंग्रेजी कैलेण्डर के अनुसार तथा हाईस्कूल / सेकेण्ड्री / कक्षा 10 के प्रमाण-पत्र में लिखित जन्मतिथि के अनुसार अपने जन्म का दिनांक, माह व वर्ष लिखें।

उदाहरण 1 : यदि 31 मई सन 1989 को जन्म हुआ है तो इस प्रकार लिखा जायेगा।

3	1	0	5	1	9	8	9
0	5	0	6	1	9	8	9
2	5	1	2	1	9	8	9

9. लिंग : यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो पुरुष हेतु निर्मित गोले को काला करें तथा महिला हेतु दिये हुए दूसरे गोले को खाली छोड़ दें। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो महिला हेतु निर्मित गोले को काला करें तथा पुरुष हेतु दूसरे गोले को खाली छोड़ दें।

उदाहरण 1 : माना कि आप एक महिला अभ्यर्थिनी हैं तो आप गोले को इस प्रकार काला करें।

पुरुष महिला

उदाहरण 2 : माना कि आप एक पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आप गोले को इस प्रकार काला करें।

पुरुष महिला

10. क्या आप अनुसूचित जाति (अ0 जा0) श्रेणी से सम्बन्धित हैं : यदि आप अनुसूचित जाति (अ0 जा0) श्रेणी के हैं तो हाँ वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ दें। यदि आप अनुसूचित जाति (अ0 जा0) श्रेणी के नहीं हैं तो नहीं वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ दें।
11. क्या आप अनुसूचित जनजाति (अ0 ज0 जा0) श्रेणी से सम्बन्धित हैं : यदि आप अनुसूचित जनजाति (अ0 ज0 जा0) श्रेणी के हैं तो हाँ वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ दें। यदि आप अनुसूचित जनजाति (अ0 ज0 जा0) श्रेणी के नहीं हैं तो नहीं वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ दें।
12. क्या आप अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0 पि ०) से सम्बन्धित हैं : यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0 पि० ०) के हैं तो हाँ वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ दें। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग (अ0 पि० ०) श्रेणी के नहीं हैं तो नहीं वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ दें। (नोट:- अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग [अ0 पि० ०] के अन्तर्गत दावा कर रहा है तो उसे क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होना चाहिए)।
13. क्या आप का० हि० वि० कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग से सम्बन्धित हैं : यदि आप का० हि० वि० कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग के हैं तो हाँ वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ दें। यदि आप का० हि० वि० कर्मचारी प्रतिपाल्य वर्ग के नहीं हैं तो नहीं वाले गोले को काला करें और दूसरे गोले को खाली छोड़ दें।
14. क्या आप शारीरिक विकलांगता (शा० वि०) वर्ग से सम्बन्धित हैं : यदि आप शारीरिक विकलांगता श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं तो हाँ वाले गोले को काला करें तथा दूसरे गोले को खाली छोड़ दें।
- यदि आप शारीरिक विकलांगता वर्ग के हैं तो आपको शारीरिक विकलांगता के प्रकार से सम्बन्धित जानकारी भी देनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप अस्थि विकलांगता एवं दृष्टि विकलांगता के हैं तो आपको अस्थि एवं दृष्टि विकलांग वाले गोले को काला करना चाहिए। यदि आप केवल अस्थि विकलांग हैं तो केवल अस्थि विकलांग वाले गोले को काला करना चाहिए और दूसरे दो गोलों को खाली छोड़ देना चाहिए।
- यदि आप शारीरिक विकलांगता वर्ग के नहीं हैं तो अस्थि, दृष्टि/वधिर विकलांगता से सम्बन्धित गोलों को खाली छोड़ देना चाहिए।
- टिप्पणी:-** एक अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कर्मचारी प्रतिपाल्य, शारीरिक विकलांगता वर्ग में से एक से अधिक वर्गों से सम्बन्धित हो सकता है। इस दशा में उसे सम्बन्धित वर्गों के हाँ वाले गोलों को काला करना चाहिए।
15. क्या आप खेल सीट के लिए दावेदार हैं: यदि आप 'खेल सीट' के दावेदार हैं, तो हाँ वाले गोले को काला करें और अन्य गोलों को खाली छोड़ें। यदि आप खेल सीट के लिए दावा नहीं करते हैं, तो 'नहीं' वाले गोले को काला करें और अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।
16. प्रवेश परीक्षा केन्द्रों का चयन : कुल पांच प्रवेश परीक्षा केन्द्र – वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद है। आप अपनी वरीयतानुसार तीन केन्द्रों का चयन प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता तथा तृतीय वरीयता के केन्द्रों के रूप में करें।
इस सन्दर्भ में प्रथम वरीयता हेतु आप उस नगर से सम्बन्धित गोले को काला करें जो कि परीक्षा केन्द्र हेतु आपकी प्रथम वरीयता है (उस स्तंभ के अन्य चारों गोलों को प्रथम वरीयता हेतु खाली रखें)। उसी प्रकार द्वितीय वरीयता हेतु उस नगर के गोले को काला करें जो आपकी द्वितीय वरीयता हो (उस स्तंभ के अन्य चारों गोलों को द्वितीय वरीयता हेतु खाली रखें) उसी प्रकार तृतीय वरीयता हेतु उस नगर के गोले को काला करें जो आपकी तृतीय वरीयता हो (उस स्तंभ के अन्य चारों गोलों को तृतीय वरीयता हेतु खाली रखें) यद्यपि आप नोट करें कि (i) बी० पी० ए०, बी० ए० ए०, बी० म्यूज तथा शास्त्री (आनस) की परीक्षा केवल वाराणसी केन्द्र पर ही होगी। (ii) नेत्रहीन अभ्यर्थियों को केवल वाराणसी केन्द्र निर्धारित किया जायेगा। (iii) बिना कारण बताये वाराणसी केन्द्र छोड़कर किसी भी केन्द्र को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास निहित है। इसलिए अभ्यर्थी तीन केन्द्रों का चयन वरीयता के आधार पर अपने आवेदन पत्र में करें (iv) अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि परीक्षा केन्द्र जो एक बार निर्धारित किया जा चुका है कि वह निरस्त नहीं किया जायेगा। (v) प्रवेश पत्र पर केन्द्र अंकित होगा। (vi) किसी अभ्यर्थी के परीक्षा केन्द्र का निर्धारण का अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय के पास निहित होगा।
17. अभ्यर्थी का नाम और पूरा पता : यहाँ पर अपने व्यावहारिक हस्तालिपि में पत्राचार के लिए अपना नाम और पूरा पता लिखें। ध्यान दे कि आप द्वारा दिया गया पत्राचार का पता आपके प्रवेश पत्र एवं अन्य पत्र (यदि कोई) हो तो भेजने हेतु प्रयोग किया जायेगा। यदि आप द्वारा दिये गये पते में कोई भी परिवर्तन होता है तो, परीक्षा नियता कार्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा आपके आवेदन पत्र से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के पत्राचार की जानकारी हेतु, अपने द्वारा दिये गए पत्राचार के पते के संदेव सम्पर्क में रहे।
18. घोषणा (हस्ताक्षर सहित) : घोषणा को सावधानीपूर्वक पढ़ लें एवं उसके पश्चात अपना व्यावहारिक हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर घोषणा के नीचे दिये गये निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य करें। आपका हस्ताक्षर आपकी पहचान को दर्शाता है।
19. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर: हस्ताक्षर हेतु आप अपने सामान्य हस्तालिपि में दिये गये बाक्स में हस्ताक्षर करें। यहाँ पर किया गया हस्ताक्षर प्रवेश पत्र बनाने में प्रयोग किया जायेगा।
20. अभ्यर्थी का नाम और पूरा स्थायी पता : यहाँ पर अपने हस्तालिपि में अपना नाम और पूरा स्थायी पता टेक्स्ट फार्म में यथा प्रत्येक खाने में अंग्रेजी के केवल एक बड़े अक्षर में ही लिखें। (जैसा कि अभ्यर्थी नाम, पिता तथा माता का नाम लिखा है) सूचना केवल सांख्यिकी आकड़ों के उद्देश्य से ली जा रही है।

राज्य	कोड
उत्तर प्रदेश	1 1
बिहार	1 2
झारखण्ड	1 3
पश्चिम बंगाल	1 4
आन्ध्र प्रदेश	1 5
अरुणाचल प्रदेश	1 6
आसाम	1 7
छत्तीसगढ़	1 8
गोआ	1 9
गुजरात	2 0
हरियाणा	2 1
हिमाचल प्रदेश	2 2
जम्मू और कश्मीर	2 3
कर्नाटक	2 4
केरल	2 5
मध्य प्रदेश	2 6

राज्य	कोड
महाराष्ट्र	2 7
मणिपुर	2 8
मेघालय	2 9
मिजोरम	3 0
नागालैण्ड	3 1
उड़ीसा	3 2
पंजाब	3 3
राजस्थान	3 4
सिक्किम	3 5
तमिलनाडु	3 6
त्रिपुरा	3 7
उत्तराचल	3 8
चंडीगढ़	3 9
दिल्ली	4 0
अन्य केन्द्र शासित	4 1

22. आपका सामान्य निवास स्थान : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोले को खाली छोड़ दें।
23. धर्म : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।
24. रक्त समूह (यदि ज्ञात हो) : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।
25. जाति वर्ग : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।
26. माता—पिता / अभिभावक की औसत मासिक आय (रु० में लगभग) : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोलों को खाली छोड़ दें।
27. बी० एच० य० से आपके निवास स्थान की दूरी (लगभग कि०मी० में) : उस गोले को काला करें जो आपके लिए लागू हो तथा अन्य गोले को खाली छोड़ दें।

टिप्पणी: अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा प्रवेश आवेदनपत्र के सभी खानों को स्वहस्तलिपि में भरना है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदनपत्र अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा स्वहस्तलिपि में नहीं भरा/हस्ताक्षरित किया गया है तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी। एक से अधिक पाठ्यक्रमों में आवेदन करने पर प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ समर्त आवश्यक प्रपत्र अलग—अलग संलग्न करना होगा।

10. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों की सूची

- (I) अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण (प्रलेख) संलग्न करना आवश्यक है।
- (i) निर्धारित प्रवेश शुल्क हेतु “परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय”, केवल वाराणसी में देय के नाम से माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट (बैंक द्वारा जारी)।
 - (ii) आवेदन पत्र में जिस संवर्ग के लिए आरक्षण की माँग आप द्वारा की गयी है उसके समर्थन में प्रमाणपत्र :
 - (क) सूचना पुस्तिका में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गमित जाति के प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित प्रति अनुभाग 5 सूचना पुस्तिका में दर्शाया गया है (अनुसूचित जाति/जनजाति तथा/पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये)।
 - (ख) जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से (स्व प्रमाणित) विकलांगता प्रमाण पत्र (केवल शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों के लिये)।
 - (ग) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए सम्बन्धित निदेशक/संकाय प्रमुख/प्राचार्या, महिला महाविद्यालय/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गमित स्थायी कर्मचारी होने का प्रमाणपत्र (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्थायी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिये)। इस अधिनियम के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों का ‘कर्मचारी पुत्र/पुत्री प्रमाणपत्र’ विश्वविद्यालय अभिलेखों द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
 - (घ) ‘खेल सीट’ के समर्थन में प्रमाण पत्र(ओं) की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि (यदि खेल सीटों के लिए दावेदार हैं)।
 - (ङ) बी० पी० एड० प्रवेष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए:
 - (i) स्व प्रमाणित उच्चतम स्तर के खेलकूद में प्रतिभागिता के प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
- (II) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र तथा संलग्न प्रमाणपत्रों को निम्नलिखित क्रम में रखना चाहिये :
- (अ) आवेदन पत्र (दिये गये लिफाफे में रखिये)
 - (ब) (i) निर्धारित प्रवेश शुल्क हेतु “परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय”, केवल वाराणसी में देय के नाम से माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (बैंक द्वारा जारी)
 - (ii) आरक्षित श्रेणी/अतिरिक्त सीट (यदि कोई हो) के स्व प्रमाणित सभी प्रमाणपत्र जो वर्गोंकी मांग के समर्थन में हो।
- नोट:- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भरे हुए आवेदन पत्र, माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) को दिये हुए लिफाफे में रखें। कृपया नोट करें कि डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) आवेदन पत्र के साथ नत्यी/स्टेपल न किये जाए। आवेदन पत्र को लिफाफे में इस प्रकार रखा जाय कि आवेदन पत्र का क्रमांक लिफाफे में बने विंडो कठे भाग से दृश्य हो।

11. आवेदन पत्र के अस्वीकृत होने के कारण

- (i) वांछित राशि का माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट ‘परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय’ के नाम से संलग्न न करना।
- (ii) आरक्षित श्रेणी/अतिरिक्त सीट (यदिकोई हो) के संबंध में स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र संलग्न न करना।
- (iii) आवेदन पत्र पर फोटो का चर्चा न होना (फोटोग्राफ की जिराक्सड कापी का चर्चा होने की दशा में भी अस्वीकृत होगा)।
- (iv) आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का न होना।
- (v) आवेदन पत्र एवं/अथवा समर्थक प्रलेख को किसी प्रकार से विकृत करना।
- (vi) किसी अन्य अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रविष्टियों को मिटाकर नयी प्रविष्टियां भरने पर।
- (vii) अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रियायती दर पर जमा प्रवेश शुल्क किसी भी स्थिति में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रयोग हेतु मान्य नहीं होगा।

नोट— यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी नियमानुसार किसी पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु अहं नहीं है, तो उसका/उसकी अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। कृपया ध्यान दे कि आवेदन पत्र, न्यूनतम आवश्यक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, संवर्ग आदि अभिलेखों को विस्तृत जांच प्रवेश के समय यदि अभ्यर्थी को बुलाया गया तो की जायेगी। अभ्यर्थी का अभ्यर्थन यदि वह अहं नहीं होगा तो उस समय भी निरस्त हो जायेगा।

12. परीक्षण सूची

आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व निम्नलिखित की विस्तृत जाँच कर लें:

- (i) क्या आपने कलर छाया-चित्र (फोटो) आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर चर्चा कर दिया है?
- (ii) क्या आपने आवेदन पत्र के सभी स्तम्भों की सावधानी पूर्वक जाँच कर ली है? कोई स्तम्भ रिक्त तो नहीं है?
- (iii) क्या आपने उचित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिया है?
- (iv) क्या आपने दिये गये निर्देशों के अनुसार माइकर डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (बैंक द्वारा जारी) “परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय” के नाम से, संलग्न कर दिये हैं?
- (v) क्या आपने आरक्षण के लिए संवर्ग (कैटेगरी)/अतिरिक्त सीटों के समर्थन में लिखित साक्ष्य संलग्न किया है?
- (vi) क्या आपने बोनस अंक प्राप्त करने हेतु अपने द्वारा उच्चतम स्तर के खेलकूद प्रतिभागिता सम्बन्धित स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया है (केवल बी० पी० ए० ए० के अभ्यर्थियों हेतु)?
- (vii) क्या आपने स्पॉट सीट के अन्तर्गत प्रवेश हेतु स्पॉट सीट के प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया है?

टिप्पणी : आवेदन पत्र पर निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य कर दें।

13. आवेदन पत्र जमा करना

- (i) प्रपूरित आवेदन—पत्र और अन्य संलग्नक साथ में दिये गये लिफाफे में परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221 005 को जमा कर सकते हैं जो 10.03.2010 (बिना कोई विलम्ब शुल्क के साथ) तक कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिये। प्रपूरित आवेदन—पत्र डाक द्वारा/कोरियर द्वारा भी भेजा जा सकता है जो परीक्षा नियंता काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी—221 005 के कार्यालय में 10.03.2010 (बिना कोई विलम्ब शुल्क के साथ) तक अवश्य पहुँच जाना चाहिए। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो अपना आवेदन पत्र दिनांक 10.03.2010 या उसके पूर्व जमा करने में समर्थ नहीं होते हैं वे भी अपना आवेदन पत्र 17.03.2010 तक निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क रु० 150/- के साथ जमा कर सकता है। अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय पटल पर आवेदन पत्र जमा कर रहे हैं, उन्हें पावती स्लिप दी जायेगी।
- (ii) आवेदन पत्र कार्यालय पटल पर बिना किसी जाँच के प्राप्त किये जायेंगे। उनकी वैधता बाद में की गयी जाँच पर निर्भर होगा।
- (iii) किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र अंतिम तिथि के बाद प्राप्त नहीं किये जायेंगे।
- (iv) अपूर्ण आवेदन पत्र, ऐसे आवेदन पत्र जिन पर अभ्यर्थी ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं तथा आवेदन पत्र जो अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किये गये हैं, पर विचार नहीं होगा। आवेदन—पत्र जिन पर अभ्यर्थियों की फोटो नहीं लगी हैं अथवा फोटो की छायाप्रति लगी हैं, उन पर भी विचार नहीं होगा। आवेदन पत्र जिसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। विश्वविद्यालय डाक में देरी अथवा आवेदन पत्र खोने का जिम्मेदार नहीं होगा।

इस वर्ष आन लाइन फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। अभ्यर्थी इसके लिए विस्तृत जानकारी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की बेवसाईट www.bhu.ac.in. पर देखें।

14. प्रवेश पत्र प्रेषण

अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अस्थायी (Provisional) प्रवेशपत्र दर्शाये गये परीक्षा केन्द्र के साथ केवल पंजीकृत डाक/स्पीड डाक से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपने हाथ द्वारा लिखित पते पर ही भेजा जायेगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर अपना नाम, पूरा पता पिन कोड सहित स्पष्ट अक्षरों में लिखें, जहां वे अग्रैल-मर्झ माह में प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये गलत अथवा अपूर्ण पते के कारण हुई देरी अथवा डाक की देरी अथवा डाक में प्रवेश पत्र खोने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की नहीं होगी। परीक्षा नियंता काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत वैध प्रवेशपत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेशपत्र या कोई सूचना परीक्षा प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व तक परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है उसे फोन नं. 0542-2368418, 0542-2307255, 0542-2307256, 0542-2307257 पर सम्पर्क करना चाहिये।

यदि अभ्यर्थी वाराणसी केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित हो रहा हो तो परीक्षा के एक दिन पूर्व उपयुक्त प्रमाण पत्र देकर परीक्षा नियंता कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रवेशपत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता/सकती है। प्रवेशपत्र की प्रतिलिपि पर वैसा ही फोटो लगाना होगा जैसा कि आवेदन पत्र पर लगाया गया है (आवेदन पत्र पर चस्पा करें) वाराणसी के अतिरिक्त किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी, परीक्षा के दिन, परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घंटा पूर्व सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष से उपयुक्त प्रमाण पत्र तथा एक प्रति फोटो (जैसा कि आवेदन पत्र में चिपकाया गया है) प्रस्तुत करके, प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता/सकती है।

परीक्षा के दिन प्रवेशपत्र की प्रतिलिपि परीक्षा नियंता कार्यालय का.हि.वि.वि. से निर्गत नहीं की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र इन्टरनेट से डाउनलोड करने की योजना विश्वविद्यालय के विचाराधीन है अतिम वस्तुरिति जानने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिनको परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र न प्राप्त हुए हो वे विश्वविद्यालय की बेवसाइट www.bhu.ac.in का अवलोकन कर उपरोक्त सुविधा की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यदि यह सुविधा उपलब्ध हो जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बेवसाइट में दिये गये विधियों को अपनाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

टिप्पणी :

(i) प्रवेश परीक्षाएं मई 18, 2010 से मई 29, 2010 के बीच सफ्ट होंगी। प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम इस सूचना पुस्तिका के अंत में दिये गये हैं। स्थान से सम्बन्धित जानकारी प्रवेश पत्र के साथ भेजी जायेगी। (ii) परीक्षा नियंता, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत वैध प्रवेशपत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। (iii) परीक्षार्थियों को चाहिये कि वे अपना प्रवेशपत्र प्रवेश होने तक सुरक्षित रखें। (iv) स्नातक प्रवेश परीक्षा एवं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये विश्वविद्यालय का नियम अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

15. प्रश्न पत्र की अवधि एवम् प्रारूप

(i) बी.ए. (आनर्स) कला

120 मिनट (2 घंटा) अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, पौधों व पशुओं से सम्बन्धित प्रारम्भिक ज्ञान, पर्यावरण प्रदूषण, मानव शरीर, मानव स्वारूप्य, सामान्य रोग, जनसंख्या विस्फोट, खाद्य व कच्चे माल का उत्पादन, सौर मण्डल, जलवायु एवं ऋतु, प्राकृतिक संसाधन व उद्योग, इतिहास, भारतीय संस्कृति व परंपरा से सम्बन्धित मुख्यतया विचारधारा, साहित्य एवं कला पर आधारित होंगे। प्रश्नपत्र में दो सेट के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा-परिज्ञान के होंगे जिसमें से अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा सेट के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, दोनों के नहीं। प्रश्न पत्र का स्तर +2 परीक्षा अथवा उसके समकक्ष होगा।

(ii) बी० ए० (आनर्स) सामाजिक विज्ञान :

120 मिनट (2 घंटा) अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, विस्तार समझने की क्षमता, प्रमुख विषयों की जानकारी एवं पौधों व पशुओं, पर्यावरण व पर्यावरण प्रदूषण, मानव शरीर, मानव स्वास्थ्य, सामान्य रोग, जनसंख्या विस्फोट, खाद्य व कच्चे माल का उत्पादन, सौर मण्डल, जलवायु एवं ऋतु, प्राकृतिक संसाधन व उद्योग, इतिहास, राजनीति शास्त्र, सामाजिक अध्ययन, मनोविज्ञान एवम् अर्थशास्त्र। प्रश्नपत्र में दो सेट के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा-परिज्ञान के होंगे जिसमें से अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा सेट के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, दोनों के नहीं। प्रश्न पत्र का स्तर +2 परीक्षा अथवा उसके समकक्ष होगा।

(iii) बी.काम. (आनर्स)/बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम :

150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) की अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्न-पत्र होगा जो + 2 परीक्षा या इसके समकक्ष स्तर का होगा। जिसमें (अ) एकाउन्टिंग तथा व्यापारिक संगठन (ब) अर्थशास्त्र तथा मुद्रा बैंकिंग (स) गणित (द) सामान्य ज्ञान तथा सामायिक कारोबार (य) प्रश्नपत्र में दो सेट के प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा-परिज्ञान के होंगे जिसमें से अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा सेट के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, दोनों के नहीं।

(iv) बी.एस.-सी. (आनर्स) (गणित समूह के लिये) :

150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) की अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा जो + 2 परीक्षा या इसके समकक्ष स्तर का होगा। इसमें तीन खण्ड होंगे : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित तथा प्रत्येक खण्ड में 50 प्रश्न होंगे।

(v) बी.एस.-सी. (आनर्स) (जीव विज्ञान समूह के लिये) :

150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) की अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा जो + 2 परीक्षा या इसके समकक्ष स्तर का होगा। इसमें तीन खण्ड होंगे : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान तथा प्रत्येक खण्ड में 50 प्रश्न होंगे।

(vi) शास्त्री (आनर्स) पाठ्यक्रम :

90 मिनट (1 घंटा 30 मिनट) की समयावधि का 300 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिन्दी तथा संस्कृत भाषा के मध्यमा / 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा स्तर के ज्ञान पर आधारित होंगे।

(vii) बी.एस.-सी. (कृषि) पाठ्यक्रम :

120 मिनट (2 घंटा) समयावधि का 300 अंकों का 200 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रश्न पत्र 10+2 अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। प्रश्नपत्र में निम्नलिखित 5 खण्ड होंगे: I. मानसिक दक्षता—25 प्रश्न; II. रसायन — 25 प्रश्न; III. भौतिकी एवं गणित—50 प्रश्न; IV. वनस्पति एवं जन्तुशास्त्र—50 प्रश्न; V. कृषि विज्ञान—50 प्रश्न। परीक्षार्थी को कुल 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। खण्ड I एवं II सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य हैं जबकि खण्ड III, IV व V से केवल एक ही खण्ड करना होगा।

(viii) बी.एड./ बी.एड. (स्पेशल) पाठ्यक्रम :

150 मिनट (2 घंटा 30 मिनट) समयावधि का 300 अंकों का एक 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रश्न पत्र जो दो भागों में निम्नलिखित रूप से विभक्त होगा :

(अ) 30 बहुविकल्पीय प्रश्न – शिक्षण अभिवृत्ति, तार्किक योग्यता, समसामयिकी शैक्षिक परिदृश्य।

(ब) 70 बहुविकल्पीय प्रश्न – प्रत्येक विषय समूह यथा भाषा, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के होंगे। अभ्यर्थी को उसी विषय समूह में परीक्षा देना होगा जिसे उसने अपनी अर्हता के आधार पर आवेदन पत्र में भरा है। प्रत्येक समूह 70 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा। प्रश्नों का विभाजन विभिन्न समूहों में निम्न प्रकार से होगा :

भाषा समूह– हिन्दी, अंग्रेजी तथा संस्कृत के समतुल्य प्रश्न जीव विज्ञान– प्राणि विज्ञान, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान तथा गृह विज्ञान के समतुल्य प्रश्न भौतिक विज्ञान– भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा गणित के समतुल्य प्रश्न गणित– गणित से प्रश्नों की अधिकता। मानविकी और सामाजिक विज्ञान– इतिहास, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, अर्धशास्त्र तथा वाणिज्य के समतुल्य प्रश्न।

टिप्पणी: अभ्यर्थी को अपनी अर्हतानुसार विषयसमूह के चुनाव की जिम्मेदारी स्वयं की होगी। बी० एड०/बी० एड० (स्पेशल) की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को एक बार विषय समूह आर्बाटित होने के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। पात्रतानुसार विषय समूह का चयन न करना और/अथवा चयनित वर्ग में परीक्षा न देने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में एक बार चयन ही अंतिम होगा।

(ix) एल.एल.बी. पाठ्यक्रम :

120 मिनट (2 घंटा) अवधि का 450 अंकों का 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य जानकारी तथा सामयिक घटनाक्रम, सामान्य कानूनी ज्ञान, अभिरुचि एवं मानसिक योग्यता सम्बन्धी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा सम्बन्धी वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होंगे। अभ्यर्थी को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में से केवल एक का उत्तर देना है।

(x) बी.पी.एड. पाठ्यक्रम :

90 मिनट (1 घंटा 30 मिनट) की समयावधि का 300 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ये सभी प्रश्न सामान्य अध्ययन, दक्षता परीक्षण और समसामयिकी खेलों पर आधारित सामान्य ज्ञान सम्बन्धित प्रश्नपत्र होंगे। सभी अभ्यर्थियों को फिजिकल फिटनेस परीक्षण (संघोधित एएचपीईआर फिटनेस परीक्षण) जो कि 300 अंकों का होगा तथा परीक्षा नियंता द्वारा नियुक्त वाह्य परीक्षकों द्वारा केवल शारीरिक शिक्षा विभाग, बी० एच० यू०, वाराणसी में परीक्षा नियंता या उनके प्रतिनिधि(यों) के देखरेख में सम्पन्न होगा, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

नोट:- 1. अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अहं होने हेतु लिखित एवं फिजिकल फिटनेस परीक्षण दोनों में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

2. अभ्यर्थी को खेलकूद हेतु बोनस अंक प्राप्त करने के गणना हेतु फिजिकल फिटनेस परीक्षण के समय अपने द्वारा उच्चतम स्तर के खेलकूद प्रतिभागिता सम्बन्धित प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी दिखाना होगा।

3. फिजिकल फिटनेस परीक्षण का कन्चर्जन फारमूला परीक्षण के समय उपलब्ध रहेगा।

(xi) बी० स्यू०ज [(कंठ/वाद्य संगीत– सितार, बाँसुरी,, वायलिन, तबला)/(नृत्य– कथक/भरतनाट्यम)]

120 मिनट अवधि का 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का 300 अंकों का एक प्रश्नपत्र कंठ, वाद्य, नृत्य, प्रत्येक के लिए होगा तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 45 मिनट की अवधि की 600 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा (मंचन एवं मौखिक) होगी।

टिप्पणी : प्रश्न त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम कंठ, वाद्य और नृत्य काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान के समकक्ष परीक्षा पर आधारित होंगे।

(xii) बी.एफ.ए. पाठ्यक्रम :

इस परीक्षा में एक लिखित प्रश्नपत्र तथा दो प्रयोगात्मक परीक्षायें होंगी :-

45 मिनट अवधि का 150 अंकों की लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों के दृश्यकला सम्बन्धी सामान्य जानकारी (चित्रकला, मूर्ति कला, वाणिज्य कला/प्रयुक्त कला, मृदभाण्ड, मृत्तिका शिल्प एवं वस्त्रांकन) पर आधारित 50 प्रश्न होंगे। अधोलिखित दो प्रयोगात्मक परीक्षायें होंगी—

(अ) 90 मिनट अवधि की 150 अंकों की किसी विषय वस्तु की पेंसिल से लाइट एवं शेड युक्त ड्राइंग।

(ब) 90 मिनट अवधि की 150 अंकों की कल्पना पर आधारित स्मृति ड्राइंग जिसे अभ्यर्थी किसी भी माध्यम यथा पेंसिल, रंगीन पेंसिल, पेस्टल, क्रेयान, वाटर कलर, पोस्टर कलर आदि से बना सकते हैं।

16. प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की विधि

(i) परीक्षा के प्रारम्भ में प्रश्न-पुस्तिका तथा अलग से उत्तर-पत्र दिये जायेंगे।

(ii) प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही परीक्षार्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिये कि उसके प्रश्नपत्र में सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई प्रश्न छुटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्नपत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिये।

- (iii) परीक्षार्थी को अपना अनुक्रमांक प्रश्नपत्र एवं उत्तरपत्र के निर्दिष्ट स्थान पर स्याही/बालपेन से लिख लेना चाहिये। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना अनुक्रमांक उत्तरपत्र के अधोभाग में उपयुक्त वृत्त में नीले/काले बाल प्वाइंट पेन से अंकित करना चाहिये तथा उत्तर पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्याही/बाल पेन से प्रश्नपत्र पुस्तिका संख्या तथा सेट संख्या (यदि हो) अंकित करना चाहिये।
- (iv) परीक्षार्थी को स्याही/बालपेन से अनुक्रमांक एवं प्रश्नपत्र उत्तरपत्र की क्रमसंख्या प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के निर्दिष्ट स्थान पर अंकित करना है।
- (v) प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर 1,2,3 तथा 4 होंगे। परीक्षार्थी को उनमें जिसे सही उत्तर समझता है, उसका चयन करना है। उत्तरपत्र के प्रथम पृष्ठ पर वर्णित निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थी द्वारा उपयुक्त उत्तर को उसके सही वृत्त में नीले/काले बाल प्वाइंट पेन से दर्शाना है। उदाहरण के लिये यदि प्रश्न संख्या 15 के 4 वैकल्पिक उत्तरों (1), (2), (3) तथा (4) में से परीक्षार्थी सही उत्तर के लिये (2) का चयन कर सकता है तो उसे उपयुक्त वृत्त में निम्नोक्त प्रकार से दिखाया जाना चाहिये।

प्रश्न संख्या 15



- (vi) यदि परीक्षार्थी एक से अधिक वृत्त को रंगता है तो उसका उत्तर गलत समझा जायेगा तथा यदि वृत्त को काला करने की प्रक्रिया में असमानता है अर्थात् उसके द्वारा प्रत्येक प्रश्नोत्तरों के लिये बनाये गये काले वृत्त में एकरूपता नहीं हैं तो भी गलत उत्तर समझा जायेगा। मार्किंग के लिये अपनायी गयी अन्य विधियां, यथा टिक मार्क, क्रास मार्क, बिन्दु का प्रयोग, लाइनमार्क तथा आधे भरे हुये वृत्त व वृत्त के बाहर बनाये गये मार्क का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- (vii) परीक्षार्थी द्वारा हल न किये जाने वाले प्रश्नों के उत्तर वृत्तों को रिक्त छोड़ देना चाहिये।
- (viii) परीक्षा पुस्तिका के शीर्ष आवरण के अंतर्वर्ती पृष्ठ या परीक्षा पुस्तिका के अंत के स्थान/पृष्ठ अस्वच्छ लेखन कार्य (रफ कार्य) के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं।
- (ix) परीक्षा पुस्तिका के किसी भी पृष्ठ का फाड़ना या हटाना पूर्णतया वर्जित है। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वह अनुचित साधनों के उपयोग करने की सजा का भागी होगा।
- विशेष: अभ्यर्थी ध्यान रखें कि चूंकि उत्तर स्याही से दर्शाये गये उत्तर में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा।

17. प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

- (i) परीक्षार्थी को अपनी प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वैध प्रवेश-पत्र लाना चाहिये। उसे उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित अपने अनुक्रमांक की सीट पर ही स्थान ग्रहण करना चाहिये।
- (ii) प्रवेश परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा के पश्चात परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- (iii) परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने के पूर्व परीक्षा-कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (iv) दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के अलावा प्रवेश परीक्षाओं में 'लेखक' उपलब्ध कराने अथवा लेखक' लाने का कोई प्रावधान नहीं है। दृष्टिहीन अभ्यर्थी को 'लेखक' निवेदन करने पर ही उपलब्ध कराया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए खण्ड 5 (iii) देखें।
- (v) किसी भी स्रोत सामग्री की तनिक भी शंका होने पर अचानक कक्ष निरीक्षक द्वारा या परीक्षा संचालन से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा परीक्षार्थी की जाँच सहसा और बार-बार की जा सकेगी।
- (vi) कैलकुलेटर/वॉच कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, पेजर, मोबाइल फोन, ईयर फोन, अलार्म घड़ी, मेमोरी वाली डिजिटल घड़ी, स्लाइड रूल, इत्यादि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है। अनुज्ञापित हथियार आग्नेय अस्त्र, प्राणघातक हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने वाले औजार भी परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।
- (vii) परीक्षार्थी द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप करने पर परीक्षार्थी की प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी:
- परीक्षार्थी के पास अनुचित साधन/सामग्री का पाया जाना या उसके परीक्षा स्थान के आस-पास जमीन पर अथवा सीट के आस-पास अनुचित सामग्री का पाया जाना, या अनाधिकृत सामग्री जैसा (vi) पर दर्शाया गया है/कागज/सूचना सामग्री या किसी भी प्रकार की परीक्षा से सम्बन्धित स्रोत सामग्री रखना, किसी भी प्रकार की लिखित या मौखिक रूप से सूचना का आदान प्रदान करना अथवा प्रश्न-पुस्तिका/उत्तर पत्र की एक दूसरे के बीच अदला बदली अथवा अनाधिकृत लाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी गलत साधनों का प्रवेश परीक्षा के दौरान इस्तेमाल करना, प्रवेश पत्र पर कुछ लिखना, प्रवेश पत्र का लिफाफा संबंधित कागज को परीक्षा-हॉल में ले जाना, अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नपुस्तिका एवं ओएमआर प्रपत्र की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन आदि [प्रश्नपुस्तिका में: अनुक्रमांक अंकों एवं शब्दों में तथा ओएमआर प्रपत्र संख्या; ओ० एम० आर० प्रपत्र में: अनुक्रमांक संख्या, प्रश्न पुस्तिका संख्या एवं सेट संख्या (यदि कोई हो)] जो सम्बन्धित कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रमाणित न हो, आवेदन पत्र पर किये गये अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं प्रवेश परीक्षा के समय किये गये अभ्यर्थी के हस्ताक्षरों का मिलान न होने पर।
- (viii) परीक्षार्थी द्वारा निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप करने पर सम्बन्धित प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी तथा भविष्य में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के अयोग्य करार कर दिया जायेगा:
- प्रवेश पत्र अथवा छायाचित्र में हेर-फेर, चेहरे का प्रवेश पत्र पर दिये गये फोटोग्राफ से पूर्णतया न मिलना, निर्धारित स्थान पर न बैठना, सीट व्यवस्था को अव्यवस्थित करना, प्रश्न-पुस्तिका या उसका कोई भाग अथवा प्रवेश परीक्षा की सामग्री या उससे सम्बन्धित अन्य कोई सामग्री को नष्ट करना या परीक्षा-कक्ष से बाहर या अन्दर ले जाना, विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से

- प्रभावित करना, प्रवेश परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना या व्यवधान उत्पन्न करने की चेष्टा करना, प्रश्नों या उनके उत्तरों को नोट करना, परीक्षा भवन/परीक्षा केन्द्र/विश्वविद्यालय परिसर में नारा लगाना या अव्यवस्था उत्पन्न करना।
- (ix) किसी व्यक्ति का किसी परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देना (Impersonation) दण्डनीय अपराध है। किसी भी परीक्षार्थी को बिना वैध प्रवेशपत्र के प्रवेश परीक्षा में समिलित होने की अनुमति नहीं होगी। कक्ष निरीक्षक या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा माँगे जाने पर प्रवेशपत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी की पहचान प्रवेश प्रपत्र पर दिये गये विवरण से की जायेगी। पहचान संदिग्ध होने पर उसे प्रवेश परीक्षा में समिलित होने की अनुमति नहीं होगी। अस्थायी तौर पर परीक्षा में समिलित होने हेतु अनुमति अँगूठा निशानी/कई बार हस्ताक्षर नमूना लेने और अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात दी जा सकेगी, जिसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई समय नहीं दिया जायेगा। ठीक उसी प्रकार काउन्सिलिंग के समय भी उपलब्ध कागजातों से अभ्यर्थी की पहचान का मिलान विश्वविद्यालय में किया जायेगा और किसी भी प्रकार का सन्देह होने पर उसका/उसकी प्रवेश प्रवेश सम्बन्धी अंतिम निर्णय होने तक स्थगित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी परीक्षार्थी के बदले परीक्षा देता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा उसे प्रथम परीक्षण सूचना (एफ० आई० आर०) के तहत पुलिस अभिक्षा में सौंप दिया जायेगा साथ ही उस अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली समस्त प्रवेश परीक्षाओं से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। यदि विश्वविद्यालय का कोई छात्र या कर्मचारी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे क्रमशः निष्कासित और सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा।
- (x) सूचना को छिपाना या गुप्त रखना : अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह प्रवेश परीक्षा में समिलित होने के लिए न्यूनतम योग्यताएँ पूरी करते हैं। यदि किसी स्तर पर यह संज्ञान में आता है कि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता पूर्ण नहीं करता अथवा उसके विरुद्ध ऐसा कुछ है जो कि उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित करता है अथवा अभ्यर्थी ने कोई गलत सूचना दी है अथवा पूर्व में किसी कदाचार व अनुशासनहीनता या ऐसे किसी कृत्य में संलिप्तता रही हो जो कि कानून दण्डनीय है, की जानकारी नहीं दी है तो उसका आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा तथा प्रवेश यदि हो चुका है तो किसी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- (xi) प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकृत प्राधिकारियों के अतिरिक्त किसी को भी परीक्षा केन्द्र के आस-पास घूमने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा कोई अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा स्थल के आस-पास घूमता हुआ पाया जाता है तो उसे पुलिस को विश्वविद्यालय द्वारा एफ०आई०आर० के तहत सुपुर्दे कर दिया जायेगा।
- (xii) किसी भी स्थिति में किसी भी स्तर पर उत्तर-पत्र का पुनरीक्षण/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (xiii) अभ्यर्थी बी०एच०य०२० के संविधान/नियमों/उपनियमों से जो समय-समय पर परिवर्तित होते रहते हैं से बाध्य होगा।
- (xiv) प्रवेश परीक्षा से सम्बद्धित किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए खानानीय वाराणसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का क्षेत्राधिकार होगा।
- (xv) व्याख्या सम्बन्धी किसी भी संदेह या अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में दिया गया विवरण ही मान्य होगा।

18. मूल्यांकन एवं परीक्षाफल

मूल्यांकन :

सभी पाठ्यक्रमों की स्नातक प्रवेश परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का मूल्यांकन ऋणात्मक अंक प्रणाली के अनुसार होगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक प्रदान किये जायेंगे जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 अंक काट लिया जायेगा। जिन प्रश्नों को नहीं किया जायेगा उन पर शून्य अंक दिये जायेंगे। अभ्यर्थी का चयन प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार होगा यदि वह न्यूनतम योग्यता अर्हता पूर्ण करता है। तथापि बी. म्यूज., और बी. एफ. ए. के लिए लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक 35% अंक और प्रायोगिक परीक्षा में 45% होगा। योग्यता क्रम का निर्धारण, दो भागों यथा, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंक के योग पर आधारित होगा। बीपीएड में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक लिखित परीक्षा में 35% होगा जबकि फिजिकल फिटनेस परीक्षण में यह 45% होगा। बी. पी. एड. में योग्यता क्रम का निर्धारण तीन भागों यथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, फिजिकल फिटनेस परीक्षण में प्राप्त अंक और खेलकूद हेतु निर्धारित बोनस अंकों के योग पर आधारित होगा। इसके अतिरिक्त प्रवेश परीक्षा की न्यूनतम अर्हता अंक में परिवर्तन का विश्वविद्यालय का अधिकार सुरक्षित है।

बी०एफ०ए० और बी०म्यूज० के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक को घिथिल करना (कम करने की स्थिति में) पड़ा तो योग्यता क्रम की गणना निम्नलिखित विधि से होगी:

- (i) प्रथमतः वे अभ्यर्थी संयुक्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची में सम्मिलित होंगे जो स्नातक प्रवेश परीक्षा में लिखित तथा प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्राप्त किये हो। (ii) उसके पश्चात वे अभ्यर्थी संयुक्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची में सम्मिलित होंगे जो प्रायोगिक परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्राप्त किये हो, परन्तु लिखित प्रवेश परीक्षा में न पास हो। (iii) अंततः वे अभ्यर्थी संयुक्त प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची में रखे जायेंगे जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्तांक न प्राप्त किये हो (लिखित परीक्षा में जो भी अंक हो)। बी. म्यूज. और बी. एफ. ए. में उपरोक्त विधि सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होगी। तत्पश्चात कोई भी अभ्यर्थी स्नातक प्रवेश परीक्षा में तभी सम्मिलित माना जायेगा जब वह लिखित और प्रायोगिक दोनों ही में सम्मिलित हुआ होगा। यदि बी. पी. एड. के लिए न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक को घिथिल करना (कम करने की स्थिति में) पड़ा तो योग्यता क्रम की गणना निम्नलिखित विधि से होगी:
- (i) प्रथमतः वे अभ्यर्थी संयुक्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची में सम्मिलित होंगे जो स्नातक प्रवेश परीक्षा की लिखित परीक्षा एवं फिजिकल फिटनेस परीक्षण में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हो। (ii) उसके पश्चात वे अभ्यर्थी मेरिट सूची में सम्मिलित होंगे जो फिजिकल फिटनेस परीक्षण में न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक प्राप्त किये हो, परन्तु लिखित प्रवेश परीक्षा में न पास हो। (iii) अंततः वे अभ्यर्थी मेरिट सूची में रखे जायेंगे जो फिजिकल फिटनेस परीक्षण में निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक न प्राप्त किये हों (लिखित परीक्षा में कोई भी प्राप्तांक हो)

विशेष: उपरोक्त विधि सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों पर लागू होगी। तत्पश्चात् कोई भी अभ्यर्थी स्नातक प्रवेश परीक्षा में तभी सम्मिलित माना जायेगा जब वह लिखित और फिजिकल फिटनेस परीक्षण दोनों ही में सम्मिलित हुआ होगा।

बी. पी. एड. के लिए बोनस अंकों का विभाजन:

1. राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में स्थान/अन्तरराज्यीय/नेशनल फेडरेशन राष्ट्रीय खेल एवं आईओए द्वारा अनुमोदित और संचालित वर्ल्ड/सैफ/कामन वेल्थ गेम्स जैसा कि एआईयू की सूची में सत्यापित।

व्यक्तिगत	टीम	अंक
प्रथम स्थान	प्रथम स्थान	50
द्वितीय स्थान	द्वितीय स्थान	45
तृतीय स्थान	तृतीय स्थान	40
.....	चतुर्थ स्थान	35

2. अन्तर विष्वविद्यालयीय भारतीय प्रतिस्पर्धा

व्यक्तिगत	टीम	अंक
.....	सदस्य भारतीय विष्वविद्यालय टीम	45
प्रथम स्थान	सदस्य विजयी टीम	40
द्वितीय स्थान	सदस्य रनर-अप टीम	35
तृतीय स्थान	सदस्य तृतीय स्थान टीम	30

3. मण्डलीय/क्षेत्रीय अन्तरविष्वविद्यालयीय प्रतिस्पर्धा में स्थान

व्यक्तिगत	टीम	अंक
.....	सदस्य, विजयी ट्राफी टीम	20
प्रथम स्थान	सदस्य विजयी टीम	15
द्वितीय स्थान	सदस्य रनर-अप टीम	10

नोट:- ऐसा अभ्यर्थी जो आगे दिये हुए खेलकूद में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो:- आईओए द्वारा अनुमोदित खेलकूद/ संघ द्वारा आयोजित ओलम्पिक में/विश्व में/एशिया में/कामन वेल्थ गेम में/एसएएफ एवं विश्व यूनिवर्सिटी, और एआईयू लिस्ट के अन्तर्गत हो तो सीधा प्रवेश पायेगा, यदि वह अभ्यर्थी प्रवेश की अन्तिम तिथि के पूर्व प्रवेश हेतु आवेदन करता है और अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण हो।

टिप्पणी : (i) समान इन्डेक्स होने पर अधोलिखित मानकों के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(अ) अर्हता परीक्षा में अधिक अंक प्रतिशत (मार्क्स) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। बी0 एस0 सी0 में प्रवेश हेतु केवल विज्ञान विषयों में प्राप्त कुल अंकों के प्राप्तांक का प्रतिशत मान्य होगा।

(ब) अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत समान होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

विशेष:

विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में कहीं पर कुछ विरोध होने के उल्लेख होने के बावजूद किसी भी कारणवश प्रवेश परीक्षाओं की उत्तर-पुरितका की जाँच/पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी। साथ ही प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का प्रतिवेदन या पूछताछ स्वीकार नहीं की जायेगी।

परीक्षाफल :

सम्बन्धित संस्थानों के निदेशक/संकायों के संकाय प्रमुख/प्रधानाचार्या (महिला महाविद्यालय) द्वारा केवल चयनित/प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवेश हेतु सूचित किया जायेगा। विश्वविद्यालय प्रयास करेगा कि अभ्यर्थियों का परीक्षाफल विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.bhu.ac.in. पर उपलब्ध हो जो जून 2010 के लगभग तीसरे-चौथे सप्ताह में निकल सकता है। प्रवेश परीक्षा परिणाम से संबंधित/जाँचे गये उत्तर पत्र से सम्बन्धित कोई पूछताछ स्वीकार्य नहीं होगी।

19. प्रवेश के समय आवश्यक मूल अभिलेख:

यदि किसी अभ्यर्थी को किसी विशेष तिथि/तिथियों पर किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आमन्त्रित किया जाता है, तो उसे नीचे वर्णित

समस्त अभिलेखों की मूल प्रति अपने साथ लाना होगा, जिसे न लाने पर उसका प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा (आमन्त्रण पत्र में विस्तृत जानकारी दी जायेगी)।

- (i) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
- (ii) प्रवजन प्रमाण पत्र, यदि का.हि.वि.वि के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो (जिसे प्रवेश के 90 दिनों के अन्दर जमा करना होगा)।
- (iii) हाईस्कूल प्रमाण पत्र/समकक्ष प्रमाण पत्र।
- (iv) इंटरमीडिएट (+2) प्रमाण पत्र/समकक्ष प्रमाण पत्र।
- (v) हाईस्कूल/समकक्ष और इंटरमीडिएट (+2)/समकक्ष के अंक पत्र।
- (vi) अर्हता परीक्षा का अंक पत्र (नीचे वर्णित खण्ड 20 देखें)।
- (vii) परीक्षा नियंता कार्यालय, का.हि.वि.वि द्वारा जारी यूईटी प्रवेश पत्र।
- (viii) अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0जा0 प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर आरक्षण मॉग किया गया हो।
- (ix) खेल सीटों के दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र(त्रों)।
- (x) का.हि.वि.वि के स्थायी सेवा के कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने का 'केन्द्रीय रजिस्ट्री' द्वारा निर्धारित पद्धति में जारी प्रमाण पत्र।

20. विभिन्न संकायों/महाविद्यालयों में उपलब्ध आनर्स विषय एवं विषय समूह

कुछ पाठ्यक्रमों जैसे बी० ए० (आनर्स) कला, बी० ए० (आनर्स) सामाजिक विज्ञान, बी० ए० सी० (आनर्स) गणित, बी० ए० सी० (आनर्स) जीव विज्ञान समूहों में प्रवेश विशेष विषय समूहों में होते हैं। इन विषय समूहों का आवंटन स्नातक प्रवेश परीक्षा के सूचकांक विभिन्न विषय समूहों में सीटों की संख्या और अभ्यर्थी के विकल्प के आधार पर दिये जाते हैं। आनर्स विषय का चुनाव भाग – ३ (तृतीय वर्ष) में करना होगा। आनर्स विषय का चुनाव प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में संबंधित विषय में प्राप्त अंकों एवं दोनों वर्षों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा। विभिन्न संकायों, महिला महाविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के आनर्स विषयों की सूची परिशिष्ट II (English Version) में दी गयी है। महिला महाविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में कला संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय एवं वाणिज्य संकाय के ही नियम लागू होंगे तथा विषय समूह एवं आनर्स विषय भी कला संकाय एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के विषय समूहों के अनुरूप ही प्रदान किये जायेंगे। विषय समूहों की सूची प्रवेश के समय ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्हें सम्भावित अस्थायी प्रवेश हेतु बुलाया जायेगा सूची भेज दी जायेगी। यह सूची विश्वविद्यालय की बैंकोवाइट www.bhu.ac.in. पर भी देखी जा सकती है।

21. प्रवेश प्रक्रिया

किसी पाठ्यक्रम में किसी अभ्यर्थी का प्रवेश केवल तभी हो सकता है जब वह समस्त आवश्यक अर्हताओं को पूरी करता/करती हो, स्नातक प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुआ/हुई हो तथा उत्तीर्ण हुआ/हुई हो, तथा प्रवेश हेतु समस्त निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण करता/करती हो। प्रवेश निश्चित रूप से पूर्णतया स्नातक प्रवेश परीक्षा की मेरिट योग्यता अंकों, निर्धारित सीटों की संख्या, सूचना पुस्तिका में दिये गये नियमों तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियमों के आधार पर ही होगा।

प्रवेश परीक्षा (यू.ई.टी.) का परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद प्रवेश-प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। बी.ए.(आनर्स) कला एवं बी.ए.(आनर्स) सामाजिक विज्ञान, बी.काम.(आनर्स)/बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट, एवं बी.एड./बी.एड. (स्पेशल) में प्रवेश “केन्द्रीय प्रवेश समिति” द्वारा सम्बन्धित संकायों/महिला महाविद्यालय में किया जायेगा। संबद्ध संकाय/महाविद्यालय के संकाय प्रमुख/प्रधानाचार्य परीक्षार्थियों को बुलावा पत्र भेजंगे। किसी भी पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थानों की संख्या से लगभग २-४ गुना अधिक अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र भेजा जायेगा। केन्द्रीय प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित महाविद्यालयों में भी प्रयुक्त होगी। अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्बन्धित संकाय की प्रवेश समिति द्वारा सम्पादित होगा। केन्द्रीय प्रवेश समिति प्रवेश हेतु कौंसिलिंग की प्रक्रिया के बाद तत्क्षण सीटों का, विषय समूह का, संस्था का निर्धारण पूर्णतया स्नातक प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिये बी.ए. (आनर्स) कला एवं बी.ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान में प्रवेश “केन्द्रीय प्रवेश समिति” द्वारा महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में किया जायेगा। महिला महाविद्यालय में बी.एस.-सी. (आनर्स) पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों का प्रवेश विज्ञान संकाय की केन्द्रीय प्रवेश समिति द्वारा विज्ञान संकाय में किया जायेगा। अभ्यर्थी को मूल हाईस्कूल का अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक-पत्र, प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र (यदि जारी हुआ हो), स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, प्रवजन प्रमाण पत्र (यदि किसी द्वारा जारी हुआ हो) एवं सम्बद्ध प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र (सभी मूल रूप में) प्रवेश के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसके बिना प्रवेश हेतु विचार नहीं किया जायेगा गोपनीय अंकपत्र, अस्थायी परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। तथा साथ ही निश्चित समय सीमा के भीतर फीस न जमा करने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट:- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी कोर्स में अस्थायी प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के लिए बुलाया जायेगा जिनके परीक्षाफल काउन्सिलिंग की तिथि तक घोषित नहीं हुए हैं, को भी निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रवेश देने हेतु अनुमति किया जायेगा:

(i) वे सक्षम अधिकारी (जैसे: परीक्षा नियंता, कुलसचिव इत्यादि) से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि निर्धारित अर्ह परीक्षा का परीक्षाफल अभी तक नहीं घोषित हुआ है।

(ii) अर्ह डिग्री से सम्बन्धित पूर्व परीक्षाओं के अंक पत्रों से यह स्पष्ट हो कि अभ्यर्थी न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत कुल योग के अंकों में प्राप्त किया है (उदाहरण हेतु पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में अन्तिम वर्ष की परीक्षा जिसका परीक्षाफल काउन्सिलिंग की तिथि तक घोषित नहीं हुआ है, को छोड़कर ५०%)। यह अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए आवश्यक नहीं है।

(iii) अभ्यर्थी को यह लिखित शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वह अर्ह परीक्षा का अंकपत्र प्रवेश वर्ष की 14 अगस्त या उसके पूर्व जमा कर देगा और यदि वह मूल अंकपत्र प्रवेश वर्ष की 14 अगस्त या उसके पूर्व जमा करने में असफल होता/होती है तो उसका/उसकी संशोधन प्रवेश स्वयं ही निरस्त हो जायेगा और वह अभ्यर्थी शुल्क वापसी हेतु कोई दावा नहीं करेगा/करेगी। इसके अतिरिक्त यदि उसका अर्ह परीक्षा में कुल योग में प्राप्तांक प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत अंकों से कम हो तो भी उसका/उसकी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और अभ्यर्थी शुल्क वापसी हेतु कोई दावा नहीं करेगा/करेगी। यह छूट पूरक परीक्षाओं/पुर्नमूल्यांकन परीक्षाफल हेतु लागू नहीं है।

आवासीय सुविधा : यद्यपि की छात्रावास प्रदान करने हेतु समस्त प्रयास उपयुक्त अभ्यर्थियों के लिए किया जायेगा, फिर भी आवासीय छात्रावास की सुविधा की कोई गारन्टी नहीं है। वरिष्ठता-सूची क्रम से चयनित समस्त छात्र/छात्राओं को ‘विश्वविद्यालय आवासीय सुविधा’ प्रदान करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। परन्तु उपरोक्त आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं होगा।

बसन्त कन्या महाविद्यालय (३० सीट) बसन्त कालेज राजधानी (६० सीट) छात्रावासों में प्रकोष्ठित सीमित सीटों उपलब्ध है। आर्य महिला पी० जी० कालेज व डी.ए.वी. पी० जी० कालेज में छात्रावास सुविधा नहीं है। ध्यानाकर्षित किया जाता है कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में फीस का ढाँचा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से मिन्न है और राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मिर्जापुर का फीस संरचना भी अलग है। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा में भी हास्टल सीमित स्थान के लिए उपलब्ध है।

22. स्नातक प्रवेश परीक्षा (यू.ई.टी.) 2010 का कार्यक्रम

सभी लिखित परीक्षा, निर्धारित तिथि पर प्रातः 8.00 बजे प्रारम्भ होगी।

दिन	दिनांक	पाठ्यक्रम
मंगलवार	18.05.2010	बी. एड. / बी. एड. (स्पेशल) मानविकी और सामाजिक विज्ञान (कोड सं0 145)
बुधवार	19.05.2010	बी. एड. / बी. एड. (स्पेशल) भाषा समूह (कोड सं0 141), जीव विज्ञान (कोड सं0 142), भौतिक विज्ञान (कोड सं0 143), गणित (कोड सं0 144)
वृहस्पतिवार	20.05.2010	बी. एफ. ए. (लिखित एवं प्रयोगात्मक)
शुक्रवार	21.05.2010	बी. म्यूज. (कंठ / वाद्य संगीत / नृत्य) (लिखित एवं प्रयोगात्मक)*
शनिवार	22.05.2010	बी. एस.सी. (कृषि), शास्त्री (आनर्स)
सोमवार	24.05.2010	बी. एस.सी. (आनर्स) जीव विज्ञान
मंगलवार	25.05.2010	बी. एस.सी. (आनर्स) गणित
बुधवार	26.05.2010	बी. काम. (आनर्स) / बी. काम. (आनर्स) फाइनॉसियल मार्केट्स मैनेजमेंट
शुक्रवार	28.05.2010	बी. ए. (आनर्स) कला, बी. पी. एड. (लिखित)
शनिवार	29.05.2010	बी. ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान, एल. एल. बी.
शनिवार से आगे	29.05.2010 से आगे	बी. पी. एड. (फिजिकल फिटनेस टेस्ट)**

* बी0 म्यूज0 (कंठ) की प्रयोगात्मक परीक्षा 2-3 दिन चल सकती है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस तैयारी से आयें। प्रयोगात्मक परीक्षा का समय संबद्ध संकाय से ज्ञात करें।

** बी0 पी0 एड0 की फिजिकल फिटनेस परीक्षा 2-3 दिन चल सकती है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस तैयारी से आयें। फिजिकल फिटनेस परीक्षा का समय संबद्ध संकाय से ज्ञात करें।

व्याख्या से सम्बन्धित किसी प्रकार के संदेह एवं अस्पष्टता की स्थिति में सूचना पुस्तिका में अंग्रेजी भाषा में दिया गया विवरण ही सही मान्य होगा।

परिशिष्ट – I

पाठ्यक्रम कूट सं.

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम कूट सं.	
सामान्य पाठ्यक्रमः			
i.	बी.ए. (आनर्स) कला	131	
ii.	बी.ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान	132	
iii.	बी.काम. (आनर्स) / बी.काम. (आनर्स) फाइनोसियल मार्केटिंग मैनेजमेंट	133	
iv.	बी.एस.–सी. (आनर्स) गणित समूह	181	
v.	बी.एस.–सी. (आनर्स) जीव विज्ञान समूह	182	
vi.	शास्त्री (आनर्स)ः	187	
व्यावसायिक पाठ्यक्रमः			
i.	बी.एस.–सी. (कृषि)	135	
ii.	बी.एड. / बी.एड. (स्पेशल)ः		
	स्मूह	स्नातक/प्रास्नातक स्तर पर मुख्य विषय	
अ.	भाषा समूह	हिन्दी/अंग्रेजी/संस्कृत	141
ब.	जीव विज्ञान	वनस्पति विज्ञान/प्राणि विज्ञान/रसायनशास्त्र/गृह विज्ञान	142
स.	भौतिक विज्ञान	भौतिक विज्ञान/रसायनशास्त्र/गणित	143
द.	गणित	गणित/सांख्यिकी	144
य.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	इतिहास अथवा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व/भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र/वाणिज्य	145
iii.	एल–एल. बी. (बैचलर ऑफ ला.)		151
iv.	बी.0 पी.0 एड0 (बैचलर ऑफ फिजिकल इंजुकेशन)		152
v.	बी.म्यूज. (वाद्य संगीतः सितार)		171
	बी.म्यूज. (वाद्य संगीतः बॉसुरी)		172
	बी.म्यूज. (वाद्य संगीतः वायलिन)		173
	बी.म्यूज. (वाद्य संगीतः तबला)		174
	बी.म्यूज. (नृत्यः कथक)		175
	बी.म्यूज. (नृत्यः भरतनाट्यम्)		176
	बी.म्यूज. (कंठ संगीत)		177
vi.	बी.एफ.ए. (बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स)		180

स्नातक प्रवेश परीक्षा सूचना पुस्तिका : मुख्य विशेषताएँ

स्नातक प्रवेश परीक्षा निम्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संचालित की जाती है :

1. सामान्य पाठ्यक्रम (त्रिवर्षीय आनर्स स्नातक पाठ्यक्रम) : बी. ए. (आनर्स) कला, बी. ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान, बी.एस.सी. (आनर्स) गणित एवं जीव विज्ञान समूह, बी. काम. (आनर्स) / बी.काम. (आनर्स) फाइनेंसियल मार्केट्स मैनेजमेंट एवं शास्त्री (आनर्स) ।
2. व्यावसायिक पाठ्यक्रम : बी. पी. एड. (एक वर्षीय), एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय), बी. एफ. ए. (चतुर्वर्षीय), बी. म्यूज. (त्रिवर्षीय), बी. एड. / बी. एड. (स्पेशल) (एक वर्षीय), बी. एस. सी. (कृषि) (चतुर्वर्षीय) ।

सामान्य पाठ्यक्रम और बी.एफ.ए., बी.म्यूज. और बी. एस. सी. (कृषि) 10 + 2 के पश्चात तथा शेष अन्य पाठ्यक्रम स्नातक डिग्री के बाद उपलब्ध है। सामान्य पाठ्यक्रमों एवं बी. पी. एड., बी. एफ. ए. तथा बी. एस. सी. (कृषि) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रतिबन्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी उपरोक्त पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन हेतु सूचना पुस्तिका तथा आवेदन पत्र अलग—अलग पाठ्यक्रमों के लिए अलग—अलग प्राप्त करने होंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु खण्ड-1 में वर्णित न्यूनतम अर्हताएँ पूर्ण करते हैं। लगभग सभी प्रवेश परीक्षाएँ कई केन्द्रों पर होती हैं। (देखें खण्ड-8)

प्रत्येक सूचना पुस्तिका के साथ आवेदन पत्र संलग्न हैं। इन्हें सावधानीपूर्वक सही—सही भरें (देखें खण्ड-9) और सभी वांछित प्रपत्रों को संलग्न करें (देखें खण्ड-10)। यदि उपरोक्त आवेदन—पत्र सावधानी पूर्वक सही—सही नहीं भरा गया तथा संलग्नक नहीं लगाये गये तो आपका आवेदन—पत्र निरस्त हो सकता है (देखें खण्ड-11)। आवेदन पत्र प्रेषित करने/जमा करने से पूर्व अपने हित में परीक्षण—सूची—(खण्ड 12) से महत्वपूर्ण बिन्दुओं का मिलान अवश्य कर लें। अभ्यर्थी को अनुक्रमांक अंकित कर प्रवेश—पत्र उसके द्वारा आवेदन पत्र पर हस्तालिखित पत्राचार हेतु पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया जायेगा। (देखें खण्ड-14)।

प्रत्येक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की जानकारी खण्ड-15 में दी गयी है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न चार वैकल्पिक उत्तरों (1,2,3,4) के साथ होंगे। बी. ए. (आनर्स) कला, बी. ए. (आनर्स) सामाजिक विज्ञान, बी. काम. (आनर्स), एवं एल.एल.बी. की प्रवेश परीक्षा में हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के व्याकरण एवं ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को हिन्दी या अंग्रेजी के इन प्रश्नों में से किसी एक के उत्तर देने हैं।

बी.पी.एड., बी.एफ.ए. एवं बी.म्यूज. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश परीक्षा में लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाएँ होंगी। (देखें खण्ड 15)।

प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को क्रम संख्या वाली प्रश्न पुस्तिका एवं एक उत्तर पत्र दिये जायेंगे। कुछ परीक्षाओं की प्रश्न—पुस्तिका पर सेट नम्बर भी अंकित होगा। उत्तर पत्र दो पृष्ठों का होगा। उत्तरपत्र के मुख्य पृष्ठ पर अभ्यर्थी अपनी मूल सूचनाएँ एवं दूसरे पृष्ठ पर प्रश्नों के उत्तर अंकित करेगा। खण्ड-16 में उत्तर देने की विधि बतलायी गयी है। परीक्षा के दौरान व्यवहार एवं अनुचित साधनों के प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी के लिये खण्ड-17 देखें।

परीक्षा परिणाम के लिये खण्ड-18 का अवलोकन करें। सम्बन्धित संकाय प्रमुख परामर्श—पत्र सम्बन्धित अभ्यर्थियों को भेजेंगे। परामर्श—पत्र संकाय में उपलब्ध सीटों के 2-4 गुना अभ्यर्थियों को ही भेजे जायेंगे। प्रवेश पूर्णतया प्रवेश परीक्षा में प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर होंगे। परामर्श—पत्र प्रवेश सुनिश्चित नहीं करता है। मेरिट सूची www.bhu.ac.in पर भी उपलब्ध होगी।

बी. ए. (आनर्स) तथा बी. एस. सी. (आनर्स) में छात्रों को प्रवेश के समय विषय समूह की सूची से किसी एक समूह का चुनाव करना होगा। इन छात्रों को एक भाषा विषय अनिवार्य विषय के रूप में भी चुनना होगा। विषय समूह का निर्धारण छात्र की मेरिट सूची के आधार पर उपलब्ध सीटों के आधार पर होगा। इन पाठ्यक्रमों में आनर्स विषय तृतीय वर्ष (अन्तिम वर्ष) में स्वीकृत किया जाता है। यह आनर्स विषय प्रथम दो वर्षों में पढ़ाये गये तीनों विषयों में से कोई एक होगा। (खण्ड-20)।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर का शैक्षणिक कार्यक्रम इसके संकायों द्वारा निर्धारित होता है। कला संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, बी. ए. एवं एम.ए. की उपाधि प्रदत्त करते हैं। महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का हिस्सा है। शहर में स्थित डी.ए.वी. पी. जी. कालेज, औसानांज, आर्य महिला पी० जी० कालेज, वेतांज, वसन्त कन्या महाविद्यालय, कमच्छा, एवं वसंता महिला महाविद्यालय, राजघाट इसके सम्बद्ध महाविद्यालय हैं। ये सभी महाविद्यालय स्नातक उपाधि प्रदत्त करते हैं। विभिन्न संकायों तथा महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों की संख्या खण्ड 1 में उद्घृत है। सम्बद्ध महाविद्यालयों में शुल्क का ढांचा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शुल्क के ढांचे से भिन्न है।

छात्रावासों में आवासीय सुविधा सुनिश्चित नहीं है एवं प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक पर आधारित है। (कुछ नियमों के अन्तर्गत)